महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(गृह मंत्रालय)

आरंभ की तिथि : 23.09.2019 को 1000 बजे तक
अंतिम तारीख : **22**.10.2019 को 1700 बजे तक
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतिम तारीख : **29**.10.2019 को 1700 बजे तक

केऔसुब में आरक्षक/ट्रेड्समेन की भर्ती 2019

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पे मेट्रिक्स के लेवल-3, 21,700 से 69,100/- में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य तथा अनुमत्य भत्तों सहित, बावर्ची, मोची, नाई, धोबी, बढ़ई, सफाईवाला, पेंटर, राजमिस्त्री, प्लम्बर, माली, और इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में आरक्षक/ट्रेड्समेन के निम्नलिखित अस्थाई पदों को भरने के लिए **भारतीय पुरूष नागरिकों** से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति होने पर, वे केऔसुब अधिनियम और नियम के साथ-साथ केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली तथा बल के अन्य सदस्यों के लिए समय समय पर लागू अन्य अधिनियमों और नियमों द्वारा अधिशासित होंगे। नियुक्ति होने पर वे, केन्द्रीय सरकारी सेवाओं के नए भर्ती कर्मचारियों के लिए लागू 01.01.2004 से प्रभावी **'नवीन पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'** के अनुसार पेशन लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

2. आरक्षक/ट्रेड्समैन 2019 की सेक्टर वार/ट्रेडवार/श्रेणीवार रिक्तियां निम्नानुसार हैं :-

पद/ट्रेड का नाम	पदों की संख्या		कुल
	सीधी	ईएसएम	
आरक्षक/रसोईया	315	35	350
आरक्षक/मोची	12	1	13
आरक्षक/नाई	98	11	109
आरक्षक/धोबी	120	13	133
आरक्षक/बढ़ई	13	1	14
आरक्षक/सफाईवाला	243	27	270
आरक्षक/पेंटर	5	1	6
आरक्षक/राजमिस्त्री	4	1	5
आरक्षक/पलंबर	4	0	4
आरक्षक/माली	4	0	4
आरक्षक/बिजली कर्मचारी (इलेक्ट्रिशियन)	3	0	3
कुल	**821**	**90**	**911**
पिछली रिक्तियां			
आरक्षक/मोची	1	0	1
आरक्षक/धोबी	2	0	2
कुल	3	0	3
कुल योग	**824**	**90**	**914**

सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां :-

पद का नाम/ट्रेड	श्रेणी	उत्तरी खंड	एनसीआर खंड	पश्चिमी खंड	मध्य खंड	पूर्वी खंड	दक्षिणी खंड	दक्षिण पूर्वी खंड	पूर्वोत्तर खंड	कुल योग
आरक्षक/ रसोईया	सामान्य जाति	15	23	20	12	16	26	14	5	**131**
	अनुसूचित जाति	6	10	7	3	5	10	5	1	**47**
	अनु. जन जाति	3	5	3	1	2	4	2	1	**21**
	अ.पिछड़ा वर्ग	9	15	11	8	9	18	10	4	**84**
	ईडब्ल्यूएस	4	6	4	2	4	7	4	1	**32**
	कुल	**37**	**59**	**45**	**26**	**36**	**65**	**35**	**12**	**315**
आरक्षक/ मोची	सामान्य जाति	1	1	1	1	1	2	1	**1**	**9**
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	1	1	0	0	1	0	0	**3**
	ईडब्ल्यूएस	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**4**	**1**	**1**	**13**
आरक्षक/ नाई	सामान्य जाति	5	7	6	3	4	8	4	2	**39**
	अनुसूचित जाति	2	3	2	1	2	5	2	1	**18**
	अनु. जन जाति	1	1	1	1	1	2	1	0	**8**
	अ.पिछड़ा वर्ग	3	5	4	2	3	5	3	1	**26**
	ईडब्ल्यूएस	1	2	1	1	1	2	1	0	**9**
	कुल	**12**	**18**	**14**	**8**	**11**	**22**	**11**	**4**	**100**
आरक्षक/ धोबी	सामान्य जाति	6	9	6	3	6	9	5	2	**46**
	अनुसूचित जाति	2	3	3	2	2	4	2	1	**19**
	अनु. जन जाति	1	2	1	1	1	2	1	0	**9**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	6	5	3	4	7	4	1	**34**
	ईडब्ल्यूएस	1	2	2	1	1	3	1	1	**12**
	कुल	**14**	**22**	**17**	**10**	**14**	**25**	**13**	**5**	**120**
आरक्षक/ बढ़ई	सामान्य जाति	1	1	1	1	1	2	1	0	**8**
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	अ.पिछड़ा वर्ग	1	1	1	0	1	1	0	0	**5**
	ईडब्ल्यूएस	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**3**	**1**	**0**	**13**
आरक्षक/ सफाईवाला	सामान्य जाति	12	18	14	9	11	19	11	4	**98**
	अनुसूचित जाति	4	7	5	3	4	8	4	1	**36**
	अनु. जन जाति	2	3	3	1	2	4	2	1	**18**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	8	12	9	5	8	14	7	2	**65**
	ईडब्ल्यूएस	3	5	4	2	3	5	3	1	**26**
	कुल	**29**	**45**	**35**	**20**	**28**	**50**	**27**	**9**	**243**
आरक्षक/ पेंटर	सामान्य जाति	1	1	0	0	1	1	1	0	**5**
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	अ.पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ईडब्ल्यूएस	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**5**
आरक्षक/ राजमिस्त्री	सामान्य जाति	0	1	1	0	0	1	1	0	**4**
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ईडब्ल्यूएस	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**
आरक्षक/ प्लम्बर	सामान्य जाति	0	1	1	0	0	1	1	0	**4**
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	अ.पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ईडब्ल्यूएस	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**0**	1	1	0	0	**1**	**1**	**0**	**4**

पद का नाम/ट्रेड	श्रेणी	उत्तरी खंड	एनसीआर	पश्चिमी खंड	मध्य खंड	पूर्वी खंड	दक्षिणी खंड	दक्षिण पूर्वी खंड	पूर्वोत्तर खंड	कुल योग
आरक्षक/ माली	सामान्य जाति	0	1	1	0	0	1	0	0	**3**
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	अ.पिछड़ा वर्ग	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
	ईडब्ल्यूएस	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**4**
आरक्षक/बिजली कर्मचारी (इलेक्ट्रिशियन)	सामान्य जाति	0	1	0	1	0	1	0	0	**3**
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ईडब्ल्यूएस	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**
	कुल योग	**96**	**154**	**118**	**67**	**93**	**174**	**91**	**31**	**824**

भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां :-

क्रमांक	पद का नाम	रिक्तियों की कुल संख्या
1	आरक्षक/रसोईया	35
2	आरक्षक/मोची	1
3	आरक्षक/नाई	11
4	आरक्षक/धोबी	13
5	आरक्षक/बढ़ई	1
6	आरक्षक/सफाईवाला	27
7	आरक्षक/पेंटर	1
8	आरक्षक/राजमिस्त्री	1
कुल		**90**

प्रयोग किए गए संक्षिप्त शब्द हैं : UR-अनारक्षित, EWS – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, OBC-अन्य पिछड़ा वर्ग, SC-अनुसूचित जाति, ST-अनुसूचित जनजाति, ESM-भूतपूर्व सैनिक, CT-आरक्षक ।

टिप्पणी :	
(i)	ऊपर दी गई रिक्तियां अस्थायी हैं और प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया में किसी भी समय/अवस्था में बढ़ अथवा घट सकती हैं। यदि रिक्तियों में कोई संशोधन है तो इसे अंतिम चयन परिणाम की घोषणा से पहले किसी भी चरण में अधिसूचित किया जा सकता है। रिक्तियों की संख्या में कोई भी परिवर्तन सीआईएसएफ भर्ती वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
(ii)	अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए आरक्षण प्रचलित सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। किसी आरक्षित श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थी एक अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में किसी विशेष ट्रेड में रिक्तियों की अनुपलब्धता या अन्य कारणों से, अनारक्षित श्रेणी के लिए लागू नियम एवं शर्तो जैसे आयु सीमा, कद आदि को पूरा करने पर आवेदन कर सकते हैं।
(iii)	उपरोक्त पदों की भर्ती के लिए रिहायशी स्तर पर प्रतिबंध रहेगा। राज्यों (संबंधित भर्ती क्षेत्र के तहत राज्यों के नाम, जैसा कि इस अधिसूचना के पैरा संख्या 8 के कॉलम संख्या 2 में दिए गए हैं) से संबंध रखनेवाले अभ्यर्थियों के नामों पर केवल संबंधित राज्य द्वारा यथा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी वैध ''निवास प्रमाण-पत्र'' जो उनके रिहायशी स्तर को सिद्ध कर सके, के प्रस्तुत करने पर ही उनको अपने संबंधित भर्ती क्षेत्र में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा, ऐसा नहीं किए जाने पर उनकी उम्मीदवारी तुरंत निरस्त कर दी जाएगी और उन्हें भर्ती की अगली प्रक्रिया में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। अन्य प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर ही निरस्त कर दिया जाएगा।
(iv)	विज्ञापन अधिसूचना को जारी कर दिया गया है जिसमें संबंधित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों की रिक्तियों को शामिल किया गया है। एक उम्मीदवार को केवल अपने गृह राज्य और भर्ती क्षेत्र जिससे वह संबंध रखता है की विज्ञापित रिक्तियों के अधीन ही आवेदन करना होगा।
(v)	केऔसुब कार्मिकों के बच्चे जो उनके गृह राज्य/भर्ती क्षेत्र के अलावा अन्य राज्य में रह रहे हैं, भी आवेदन कर सकते हैं और उस भर्ती केन्द्र से आवेदन कर सकते हैं, जहां उनके पिता/माता तैनात हैं। तथापि, उनपर केवल भर्ती क्षेत्र के तहत दिए गए उनके वास्तविक रिहायशी राज्य की रिक्तियों के अधीन विचार किया जाएगा। इस छूट का

	लाभ उठाने के लिए उन्हें इस अधिसूचना (**अनुलग्नक-VIII**) में संलग्न प्रपत्र के अनुसार इकाई प्रभारी से जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। तथापि, वे उस राज्य/भर्ती क्षेत्र से, जहां से वे अपीयर हो रहे हैं, यदि वे वास्तविक रूप से ऐसे राज्य/भर्ती क्षेत्र में वास्तविक रूप से नहीं रह रहे हैं, से छूट प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को पात्रता/छूट पर विचार भर्ती क्षेत्र के तहत दिए गए उनके रिहायशी राज्य के अनुसार लागू समझा जाएगा।
(vi)	अभ्यर्थी केवल एक ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी ट्रेड के लिए ट्रेड परीक्षा/लिखित परीक्षा विभिन्न स्थानों पर एक साथ आयोजित की जाएगी।
(vii)	एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक आवेदन पत्र ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि एक अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्रों का पता चलता है तो उसकी उम्मीदवारी सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी।
(viii)	आवेदन पत्र भरते समय, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में अपनी पहचान कार्ड संख्या (अर्थात् आधार नंबर, ड्राईविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र अथवा आयकर पैन कार्ड नंबर) को सही तरीके से भरना सुनिश्चित करना चाहिए। उसे प्रत्येक प्रतिस्पर्धा के दौरान परीक्षा केन्द्र पर प्रस्तुत किया जाएगा । भर्ती के प्रथम चरण के दौरान अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक डाटा तैयार किया जाएगा और उसे अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन करने के लिए भर्ती प्रकिया के दौरान प्रयुक्त किया जाएगा।
(ix)	**अभ्यर्थियों को अपनी सभी मूल शैक्षिक/अनुभव/जाति/रिहायशी प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों को पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा के समय समुचित जांच/छटनी के लिए लाना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी पात्रता के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसकी उम्मीदवारी सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी और किसी अन्य दिन पर दस्तावेजीकरण के लिए उसकी निरस्तीकरण के अधीन कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी और भर्ती के अगली प्रक्रिया में उन्हें भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।**
(x)	पद कम्बेटाईज्ड और पूर्णतः अस्थायी हैं परंतु इन्हें स्थायी किया जा सकता है।
(xi)	नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय क्षेत्र और विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
(xii)	आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में जिनका निम्नलिखित विवरण वाले जाति प्रमाण-पत्रों को निर्धारित प्रमाण पत्र के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है और उम्मीदवार को संबंधित आरक्षित श्रेणी की रिक्ति के अधीन भर्ती प्रक्रिया में अनुमत किया जा सकता है :-
(क)	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा उससे संबंधित स्थान/गांव/कस्बा जिससे वे संबंध रखते हैं।
(ख)	उपयुक्त/निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
(ग)	जाति प्रमाण पत्र में भारत सरकार के प्राधिकरण/संकल्प को सही तरीके से उल्लिखित किया गया है जो यह सिद्ध कर सके कि आरक्षित श्रेणी के अधीन एक उम्मीदवार का दावा वास्तविक है।
(घ)	अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित जाति उस श्रेणी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समेकित सूची में उपलब्ध है।
(xiii)	यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं है तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को गैर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से भरा जाएगा ।
(xiv)	भूतपूर्व सैनिक, 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों और 2002 के गुजरात के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे/आश्रित किसी भी क्षेत्र में भर्ती के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि उन्हें उस जिले के जिलाधीश/जिला मजिस्ट्रेट जिसमें पीड़ित व्यक्ति मारा गया था से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
03.	भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है :-
(i)	अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्रों को **केवल डाक द्वारा 'परिशिष्ट-क' में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही** स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका अनुमत नही है।
(ii)	शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण को केऔसुब द्वारा विभिन्न भर्ती केन्द्रों पर किया जाएगा।
(iii)	सामान्य एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से 100/- रू. का आवेदन शुल्क लिया जाएगा। अ.जा., अ.ज.जा. और भूतपूर्व सैनिक जो कि आरक्षण के पात्र हैं को शुल्क अदायगी से छूट प्राप्त है। **ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति सिद्ध करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर फीस माफी वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण चरण में ही निरस्त कर दी जाएगी और उन्हें भर्ती की अगली प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
(iv)	अभ्यर्थियों के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र प्रत्येक चरण अर्थात् क. पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा,

	ख. लिखित परीक्षा, ग. विस्तृत चिकित्सा परीक्षण, के लिए वेबसाइट https://cisfrectt.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र को परीक्षा/परीक्षण के समय लाना अपेक्षित होगा।
(v)	चिकित्सा परीक्षण से पहले भर्ती के दो चरण निम्नानुसार होंगे :-
	(क) पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा।
	(ख) ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा जो द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में होगी।
	टिप्पणी :- उपरोक्त दो चरणों का क्रम प्रशासनिक कारणों/मौजूदा परिस्थितियों के कारण सीआईएसएफ के विवेक से आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि प्रथम चरण में लिखित प्ररीक्षा आयोजित की जाती है तो दूसरे चरण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पूर्णतया लिखित परीक्षा में वरीयता पर निर्भर करेगी जिसके लिए अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35 प्रतिशत, और अजा/अजजा/अपिव के लिए 33 प्रतिशत होगी। तथापि, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को दूसरे चरण अर्थात् पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा में बुलाना आवश्यक नहीं होगा। दूसरे चरण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक पद और प्रत्येक श्रेणी के लिए रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी। तदनुसार, प्रत्येक श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।
(vi)	लिखित परीक्षा सह मैरिट सूची आदि का क्षेत्रवार ट्रेडवार और श्रेणीवार परिणाम निकाला जाएगा।
(vii)	अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची सीआईएसएफ की वेवसाइट पर अपलोड की जाएगी।
(viii)	वे अभ्यर्थी जिनका नाम अनंतिम चयन सूची में प्रत्येक पद/ट्रेड और श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार आता है उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा।
(ix)	निर्विघ्न, पारदर्शी और सही भर्ती का संचालन करने के लिए बल पर्याप्त उपायों और आधुनिक तौर तरीकों का पालन करेगा।

4.	**पात्रता मानदंड :**		
	क)	शैक्षिक योग्यताएं (सीधे ओपन मार्केट अभ्यर्थियों के लिए)	**प्रशिक्षित** ट्रेड्स (अर्थात् नाई, मोची, रसोईया, बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन, राजमिस्त्री, माली, पेंटर, प्लम्बर, और धोबी) के लिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अप्रशिक्षित ट्रेड्स (अर्थात सफाईवाला) के लिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष।
		राज्य बोर्ड/केन्द्रीय बोर्ड के अलावा शैक्षिक प्रमाण पत्र भारत सरकार की अधिसूचनाओं के साथ संलग्न होने चाहिए जिसमें यह घोषित किया गया हो कि ऐसी योग्यता केन्द्र सरकार के तहत मैट्रिक/दसवीं कक्षा पास के समकक्ष है।	
	ख)	आयु (सीधे ओपन मार्केट अभ्यर्थियों के लिए)	**01.08.2019** को 18 से 23 वर्ष के बीच। अभ्यर्थियों का जन्म 02.08.1996 से पहले और 01.08.2001 के बाद का नहीं होना चाहिए।
		आयुसीमा में छूट के लिए पात्र श्रेणियां	**छूट**
	(i)	अनुसूचित जाति/जनजाति	ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक
	(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग	ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष तक
	(iii)	जम्मू और कश्मीर के ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्यत: जम्मू-कश्मीर राज्य के 01 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 तक निवासी रहे हैं। **इस श्रेणी के अन्तर्गत छूट का दावा प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को उस जिले के मजिस्ट्रेट, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह सामान्यत: रहा है अथवा जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह 01-01-1980 से**	अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक। अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक । अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 08 वर्ष तक।

		31-12-1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर के निवासी रह चुके हैं।	
	(iv)	**1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रित और बच्चे**	अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक। अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 08 वर्ष तक।
		बच्चो से तात्पर्य (क) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा (ख) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित)।	
		परिवार के आश्रित सदस्य से तात्पर्य (क) पत्नी अथवा (ख) बच्चे अथवा (ग) भाई अथवा बहन जहां दंगों में मारा गया व्यक्ति अविवाहित हो और दंगों में मारे जाने के दौरान वे उस पर पूरी तरह आश्रित हो।	
		टिप्पणी : चूकि यह विज्ञापन कांस्टेबल/ट्रेड्समेन (पुरूष) की भर्ती से संबंधित है अत: 1984 के दंगो तथा गुजरात के 2002 के सांप्रदायिक दंगो में मारे गए व्यक्तियों के पुरूष बच्चे तथा पुरूष आश्रित ही किसी भर्ती क्षेत्र में भर्ती के लिए अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। **इस श्रेणी में ऊपरी आयु सीमा में छूट पाने के लिए आवेदकों को इस आशय का प्रमाण पत्र उस जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा जिसके क्षेत्र में पीड़ित मारा गया था।**	

	ग)	**शारीरिक मानक**				
		श्रेणी			**कद**	**सीना**
	(i)	सामान्य/अनु.जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए (केवल नीचे (ii) में उल्लेखित को छोड़कर			170 सेमी.	05 सेमी के न्यूनतम फुलाव के साथ न्यूनतम 80 सेमी अर्थात 80-85 सेमी।
	(ii)	निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले आवेदकों के लिए मानकों में छूट				
		(क)	गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर , जम्मू और कश्मीर के लेह व लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी परन्तु **परिशिष्ट-'VI'** के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर। उपर्युक्त मानक [पैरा 4 ग (ii)(क)] सभी श्रेणियों (अर्थात सामान्य, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनु.जाति के लिए लागू है।		165 सेमी.	05 सेमी के न्यूनतम फुलाव के साथ न्यूनतम 78 सेमी अर्थात 78-83 सेमी
		(ख)	अनुसूचित जन जातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थी		162.5 सेमी.	05 सेमी के न्यूनतम फुलाव के साथ न्यूनतम 76 सेमी अर्थात 76-81 सेमी
		टिप्पणी	**:- भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों मे पूरी छूट है। तथापि, लंबाई और सीने का माप रिकार्ड हेतु किया जाएगा।**			

	घ)	**चिकित्सा मानक**	
		I	वह व्यक्ति जो उपरोक्त पदों पर नियुक्ति चाहता है उसे अपनी शारीरिक और चिकित्सा फिटनेस का मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 20 मई 2015 के गृह मंत्रालय के यू.ओ. संख्या ए.VI-1/2014-भर्ती (एसएसबी) और समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों के द्वारा सीएपीएफ और एआर में चिकित्सा परीक्षण के लिए एक समान दिशा-निर्देशों के अनुसरण में चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। उसे उसमें यथा दर्शाए गए चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा।
		(i)	**भार** – शारीरिक मापन के समय वजन को रिकार्ड किया जाएगा परंतु वजन की वजह से फिटनेस का निर्णय चिकित्सा परीक्षण के समय लिया जाएगा।
		(ii)	**दृष्टि :** दोनों आंखो की न्यूनतम दृष्टता 6/6 और 6/9 बिना सही किए हुए अर्थात बिना चश्में के।
		(iii)	आवेदक के घुटनों में टकराव न हों, समतल पैर, वेरीकोस वेन अथवा आंखों में भेंगापन न हों, उच्च रंग-भेद दृष्टि होनी चाहिए वह अच्छी मानसिक व शारीरिक दशा में हो और किसी भी प्रकार की भौतिक कमी जिससे उसके कार्य निष्पादन में बाधा पहुँचती हो, उससे मुक्त होना चाहिए।
5.	**<u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए पात्रता के मानदंड</u>**		
(1)	भूतपूर्व सैनिक जो सेना में सिपाही/लांस नायक है अथवा वायुसेना अथवा नौसेना में समतुल्य रैंक पर हैं, वे आरक्षक/ट्रेड्समैन के पद पर आवेदन करने के पात्र हैं। सेना/वायुसेना/नौसेना में सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, नायक अथवा समतुल्य रैंकधारी भी भूतपूर्व सैनिक निम्नतर पदों की भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और साथ में वे यह लिखित में स्वीकारोक्ति प्रदान करें कि उनके चयन होने की स्थिति में वे रक्षा बलों में उनके द्वारा धारित रैंक के समतुल्य पद का दावा नहीं करेंगे।		
		''**भूतपूर्व सैनिक**'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है	
	i)	'जिसने भारतीय संघ की नियमित थल, नौ सेना तथा वायु सेना के किसी भी रैंक (चाहे वर्दीधारी अथवा गैर वर्दीधारी) में सेवा की हो; और	
		(क)	जो चाहे स्वयं के अनुरोध पर अथवा नियोक्ता से ऐसी सेवा से पेंशन लेने के पश्चात सेवानिवृत, कार्यभार मुक्त अथवा डिस्चार्ज कर दिए गए हों; अथवा
		(ख)	जो रक्षा सेवा पर आरोपणीय चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों के कारण सेवा मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेन्शन दी गई हों; अथवा
		(ग)	जो स्थापना में कमी होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किये गए हों;
			अथवा
	ii)		जो ऐसी सेवा से नियुक्ति की एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद उनके स्वयं के अनुरोध करने के सिवाय ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों और उनको उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक नामत: निरन्तर सेवा वाले अथवा सतत् अर्हक सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं।
			अथवा
	iii)		''सेना डाक सेवा'' के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा रक्षा सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से सेवामुक्त हुए हों अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हो के कारण तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हों;
			अथवा
	iv)		ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 माह से अधिक की अवधि के लिए ''सेना डाक सेवा'' में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों;
			अथवा
	v)		''क्षेत्रीय सेना'' कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता;
			अथवा
	vi)		चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए अथवा सेवामुक्त तथा चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्राप्त पूर्व रंगरूट।
	(2)	**सेवा में अन्तराल :**	**पूर्वोत्तर क्षेत्र के अभ्यर्थियों सहित सभी अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात 22.10.2019** की स्थिति के अनुसार थल सेना/नौ सेना/वायु सेना से

			सेवा मुक्त होने की तारीख से 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
		आयु :	उन्हें अपनी वास्तविक आयु से कम की जाने वाली थल सेना सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति होगी और परिणामी आयु इन पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा से 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपरी आयुसीमा में आगे 5 वर्षो की तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्षो की छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा का निर्धारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के अभ्यर्थियों सहित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात **01.08.2019 से किया जाएगा।**
	(3)	**चिकित्सा श्रेणी :**	सेवा मुक्ति के समय 'ए' (ए.वाई.ई.) अथवा ''शेप-1'' । उन्हें केऔसुब में आरक्षक/ट्रेड्समैन के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उन्हीं चिकित्सीय मानकों को धारण करना होगा।
	(4)	**सेवा मुक्ति के समय चरित्र :**	आदर्श / बहुत बढ़िया
	(5)	**शैक्षणिक योग्यता :**	मैट्रिक अथवा समतुल्य अथवा आर्मी प्रथम श्रेणी अथवा वायु सेना अथवा नेवी के समतुल्य प्रथम श्रेणी।
		अन्य पात्रता शर्ते वही रहेंगी जो पात्रता मानदंड में यथा उल्लिखित अन्यों के लिए लागू है।	

	टिप्पणी – I:	भूतपूर्व सैनिक अपने पुनः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण का लाभ उठाने के बाद जो पहले हो, केन्द्र सरकार के तहत नियमित आधार पर सिविल में समूह 'ग' और 'घ' में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं के शुल्क में छूट अथवा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों का दावा करने के पात्र नहीं होंगे। तथापि, वे उम्र में छूट के हकदार होंगे।
	टिप्पणी – II :	सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक के लिए 'कॉल अप सेवा' की अवधि को उम्र में छूट के प्रयोजन से सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।
	टिप्पणी - III :	संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी कार्मिक को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के प्रयोजन से एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाना चाहिए, उसने पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय उपयुक्त समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लिया हो और/अथवा वह अपनी अर्जित हकदारी को सक्षम अधिकारी के समक्ष दस्तावेजीय प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर सके कि वह सशस्त्र बलों के साथ काम करने की निश्चित शर्तो को आवेदन पत्र की समाप्ति की तिथि 22.10.2019 से एक वर्ष की निधारित अवधि में पूरा कर लेगा।
	टिप्पणी – IV :	**भूतपर्वू सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों के लिए आयु में छुट लागू नहीं है।**
	टिप्पणी – V :	भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय नागरिक सेवा और पदों में पुनः तैनाती) संशोधन नियमावली, 2012 में यथा उल्लिखित भूतपूर्व सैनिकों की पुनः तैनाती के लिए अन्य नियम और शर्तो के साथ-साथ समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश भी लागू होंगे।
	टिप्पणी –VI :	भूतपूर्व सैनिकों को पीएसटी के समय मौजूद रहना होगा ताकि अपने माप, दस्तावेजीकरण को रिकार्ड करवा सकें और अपने शैक्षिक प्रमाण-पत्रों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकें। उन्हें लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा और चिकित्सीय जांच में भी उपस्थित रहना होगा और उत्तीर्ण करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को अपनी शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का मूल्यांकन करने के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 20 मई 2015 की यूओ संख्या यू.ओ. संख्या ए.VI-1/2014-भर्ती (एसएसबी) के अनुसार और समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार चिकित्सीय परीक्षणों में पास होना पड़ेगा।
	स्पष्टीकरण 1:	संध के सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करनेवाले व्यक्ति जो सेवानिवृत होने पर 'भूतपूर्व सैनिक' की श्रेणी में आते हैं, वे सेवा की विशिष्ट शर्तो के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और भूतपूर्व सैनिकों को मिलनेवाली सभी छूटों का लाभ ले सकते हैं परंतु वे संध के सशस्त्र बलों की सेवा की विविष्ठ शर्तो को जब तक पूरा न कर दें उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित कमान्डिंग अधिकारी से अनुलग्नक -'V' के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

06. अपात्रता	
(i)	ऐसा कोई व्यक्ति
(क)	जिसने उस व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है।
	अथवा

(ख)	जिसका पति/पत्नी जीवित है किसी अन्य से विवाह किया हो अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया है फोर्स में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि यह विवाह ऐसे व्यक्ति तथा अन्य पार्टी के लिए लागू निजी कानून के तहत अनुमत्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है तो उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है ।
(ii)	सरकारी सेवा से बर्खास्त होने पर ।

07.	**प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण-पत्रों का प्रपत्र :**	
	(i)	वे अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना चाहिए। अन्यथा अजा/अजजा/अपिब/ भूतपूर्व सैनिक के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और दावेदारी संबंधी उनके आवेदन पत्रों पर सामान्य श्रेणी (यूआर) के तहत विचार किया जाएगा बशर्ते वे अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित अपेक्षित पात्रता को पूरा करते हों। प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र अधिसूचना के साथ संलग्न किए गए हैं। अन्य किसी प्रपत्र में प्राप्त प्रमाण-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
	(ii)	अपिव के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाह रहे अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र है और वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है। इस प्रक्रिया के लिए निर्णायक तिथि आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि अर्थात् 22.10.2019 होगी। अभ्यर्थियों को उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करना चाहिए कि उनकी उम्मीदवारी अनंतिम होगी जब तक कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की जांच नहीं कर ली जाती।
	(iii)	ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण के लाभ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर लिया जा सकता है। आय एवं परिसंपत्ति के प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् 22.10.2019 होगी। अभ्यर्थियों को उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करना चाहिए कि उनकी उम्मीदवारी अनंतिम होगी जब तक कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की जांच नहीं कर ली जाती।
	(iv)	अभ्यर्थियों को उनके संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा, जब वे संबंधित राज्य/ संघ शासित क्षेत्र द्वारा यथा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ''निवास प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत कर देंगे ताकि वे दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने निवास स्तर को साबित कर सकें। ऐसा नहीं किए जाने पर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी।
	(v)	चूंकि आसाम राज्य निवास प्रमाण-पत्र/पीआरसी जारी नहीं करता है, आसाम राज्य से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों को उन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों से उनकी आवासीय स्थिति के सत्यापन के अधीन होगा।
	(vi)	पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) जो कि जम्मू एवं कश्मीर में रह रहे हैं परंतु जिन्हे राज्य के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के नामित प्राधिकारी से रिहायशी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त के बगैर भर्ती किया जाएगा। अभ्यर्थी के गांव के सरपंच/नंबरदार द्वारा अनुलग्नक -VIII के अनुसार जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी श्रेणी से संबंध रखता है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (चूंकि वे राज्य विधान सभा में वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं) में चुनाव के लिए मतदाता सूची में अभ्यर्थी का नाम दर्शानेवाली मतदाता सूची की एक प्रति के साथ को भर्ती के लिए उसके पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के प्रमाण के रूप मे माना जाएगा। जहां तक उपरोक्त शरणार्थियों से उनके अनुसूचित जनजातियों के होने का संबंध है, राज्य सरकार ने पहले ही उनके अनुसूचित जाति की स्थिति को दर्शाते हुए और विशिष्ट रूप से यह दर्शाते हुए कि अभ्यर्थी राज्य का स्थायी नागरिक नहीं है, परंतु साधारणत: गांव में रह रहा है, के प्रमाण-पत्र जारी कर दिए हैं। इन प्रमाण-पत्रों को तदनुसार उनकी अनुसूचित जाति की स्थिति के पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
	टिप्पणी :	अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे अजा/अजजा/अपवि/ईडब्ल्यूएस/भू.सै. का झूठा दावा करते है तो उन्हें परीक्षा में बैठने से स्थायी रूप से बाहर कर दिया जाएगा।
8.	**आवेदन कैसे करें**	
	परिशिष्ट-'क' के अनुसार प्रपत्र में आवेदन पत्र को 100 रूपए (एक सौ रूपए केवल) के अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ नीचे दिए गए प्राधिकृत प्राप्तकर्त्ता प्राधिकारियों के पास संबंधित आवेदन पत्र को नीचे दिए गए कॉलम 4 में उल्लिखित अधिकारी के पक्ष में देय पोस्टल आर्डर के रूप में और कॉलम 5 के तहत यथाउल्लिखित डाकघर में देय को भेजा जाना चाहिए। **अजा/अजजा और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी** के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त है।	

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसमें अभ्यर्थी निवास करता है। (भर्ती क्षेत्र के अन्दर)**	**अधिकारी का नाम, जिसे आवेदन पत्र भेजा जाना चाहिए।**	**अपेक्षित आवेदन शुल्क के लिए आहरित किए जाने वाला पोस्टल आर्डर जिसके पक्ष में देय है, उसका पता**	**डाक घर का नाम जहां पोस्टल आर्डर देय होगा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान	उप महानिरीक्षक केऔसुब (उत्तरी क्षेत्र) मुख्यालय, केऔसुब परिसर, महिपालपुर, पोस्ट - महिपालपुर, नई दिल्ली 110037. (ई-मेल : dignz@cisf.gov.in)	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, केऔसुब उत्तरी क्षेत्र-1 मुख्यालय, नई दिल्ली।	जीपीओ नई दिल्ली
2.	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।	उप महानिरीक्षक, केऔसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय, केऔसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी गाज़ियाबाद, पोस्ट - शिप्रा सन सिटी जि़ला - गाज़ियाबाद राज्य - उत्तर प्रदेश पिन कोड - 201014 (ई-मेल : digncr@cisf.gov.in)	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, केऔसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी गाज़ियाबाद	प्रधान डाकघर गाजियाबाद, नवयुग मार्केट गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-201001
3.	दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (पश्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, केऔसुब कॉम्पलेक्स, सेक्टर-35, खारघर, नवी मुम्बई - 410210 (ई-मेल : digwz@cisf.gov.in)	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, केऔसुब (पश्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, खारघर, नवी मुम्बई।	जीपीओ मुंबई
4.	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय, भिलाई तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट - उतई, जि़ला - दुर्ग, राज्य - छत्तीसगढ़, पिन - 491107. (ई-मेल : digcz@cisf.gov.in)	उप कमाण्डेन्ट/डीडीओ, केऔसुब मध्य क्षेत्र मुख्यालय, भिलाई।	सिविक सेंटर, भिलाई पिन - 490006
5.	बिहार और झारखंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (पूर्वी क्षेत्र-1) मुख्यालय, पाटलिपुत्र, बोरिंग रोड, पटना, बिहार -800013 (ई-मेल : digez@cisf.gov.in)	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, केऔसुब (पूर्वी क्षेत्र) मुख्यालय, पटना	जीपीओ पटना
6.	आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षदीप, पुद्दुचेरी, तमिलनाडू और तेलांगाना	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (दक्षिणी क्षेत्र) मुख्यालय, 'डी' ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसंत नगर, चेन्नई - 600090 तमिलनाडू। (ई-मेल : digsz@cisf.gov.in)	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, केऔसुब दक्षिण क्षेत्र मुख्यालय, चेन्नई।	जीपीओ चेन्नई
7.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, ओडिशा, और पं.बंगाल	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (दक्षिण-पूर्व क्षेत्र-1) मुख्यालय, परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनशिप (कस्बा) कोलकाता -107 (ई-मेल : dignez@cisf.gov.in)	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, केऔसुब दक्षिण-पूर्व क्षेत्र-1 मुख्यालय, कोलकाता।	जीपीओ कोलकाता
8.	अरूणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (पूर्वोत्तर क्षेत्र) मुख्यालय, गुवाहाटी बेहरबाड़ी, ए.जी. कॉलोनी के निकट, हॉकी स्टेडियम रोड, पोस्ट - बसिस्ठा, जि़ला - कामरूप	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, केऔसुब पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यालय, गुवाहाटी।	जीपीओ गुवाहाटी

		आसाम - 781029 (ई-मेल : dignez2@cisf.gov.in)		

	टिप्पणी :- अभ्यर्थियों को केवल अपने निवासी राज्य के अधीन यथाउल्लिखित ही अपने आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करना चाहिए। अन्य प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर ही निरस्त कर दिया जाएगा।	
	i)	उपरोक्त पैरा-8 में यथा दर्शाए गए सीआईएसएफ के संबंधित उप महानिरीक्षक को आवेदन पत्र **22.10.2019 (05:00 बजे सायं)** तक पहुंच जाने चाहिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों के मामले में **29.10.2019 (05:00 बजे सायं)** तक पहुंच जाने चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
	ii)	एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले सही विवरणों को भरने में अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए।
	iii)	अभ्यर्थियों के पास अपना व्यक्तिगत मोबाईल नं. और वैध ई-मेल आई-डी होना चाहिए। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि उस मोबाईल नं. और ई-मेल आई डी को प्रयोग में रखें जिसे उन्होंने अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित किया है क्योंकि महत्वपूर्ण सूचना अभ्यर्थियों को एसएमएस अथवा ई-मेल के माध्यम से दी जा सकती है। इसलिए यह अभ्यर्थियों के अपनी हित में है कि अपने ई-मेल आई-डी/मोबाईल नंबरों को किसी और को न दें।

9	**भुगतान का तरीका :** उपरोक्त पदो के लिए भर्ती के लिए आवेदन कर रहे **अनारक्षित (यूआर), ईडब्ल्यूएस और अपिव श्रेणियों** से संबंध रखनेवाले अभ्यर्थियों को कॉलम-4 के तहत उल्लिखित अधिकारी के पक्ष में देय पोस्टल आर्डर के रूप में और कॉलम 5 के तहत यथाउल्लिखित और उपरोक्त पैरा-8 में दर्शायी गई कॉलम-5 के तहत डाकघर में देय रू. 100 (एक सौ रूपए केवल) को भेजा जाना चाहिए।	
	टिप्पणी-*I* :	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी से सबंध रखने वाले अभ्यर्थी जो आरक्षण के पात्र हैं, उन्हें आवेदन शुल्क अदा करने से छूट प्राप्त है।
	टिप्पणी- *II* :	एक बार अदा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
	टिप्पणी- *III* :	उपरोक्त दर्शाए गए तरीकों के अलावा भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
	टिप्पणी-*IV* :	23.09.2019 अर्थात् आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से पहले अदा किए गए शुल्क को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
	टिप्पणी-V:	अभ्यर्थियों (छूट प्राप्त श्रेणी के अलावा) से अपेक्षित आवेदन शुल्क के प्राप्त नहीं होने के मामले में उनके आवेदन पत्र को सीधे ही निरस्त कर दिया जाएगा।

10.	**भर्ती के लिए प्रवेश :**	
	i)	वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन की भर्ती प्रक्रिया में अंतिम तिथि पर आवेदन करते हैं और जो अनंतिम रूप से पात्र हैं, जो उन्हें भर्ती के प्रथम चरण के समय अर्थात् पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा में अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे।
	ii)	अभ्यर्थियों को केऔसुब से पत्राचार करते समय अपनी पंजीकरण संख्या, अनुक्रमांक, नाम, जन्मतिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। अपेक्षित विवरणों को प्रस्तुत किए बगैर अभ्यर्थियों द्वारा किए गए पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
	iii)	पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और विस्तृत चिकित्सीय जांच के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे और उन्हें https://cisfrectt.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त दस्तावेजों को केवल सीआईएसएएफ वेबसाइट के माध्यम से ही डाउनलोड करें। किसी अन्य वेबसाइट पर कोई अन्य लिंक उपलब्ध नहीं होगा।
	iv)	यदि अभ्यर्थी वेबसाइट से पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा आदि के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र डाउनलोडन नहीं कर पाता है तो अभ्यर्थियों को जिस राज्य से वे संबंध रखते हैं उसके सीआईएसएफ क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र (आरआरसी) को ई-मेल के द्वारा पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण से कम से एक सप्ताह पहले संपर्क करना चाहिए। (ई-मेल आई डी इस विज्ञापन के पैरा 8 में दी गई है)

11.	**चयन की प्रक्रिया/चयन की पद्धति :**
	भर्ती के लिए आवेदन कर रहे सभी पात्र अभ्यर्थियों को उनके द्वारा सौंपी गई सूचना की जांच के पश्चात भर्ती के प्रथम चरण अर्थात् पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा के लिए बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे। उनके दस्तावेजों की

	पात्रता की विस्तृत जांच पीएसटी और पीईटी के बाद की जाएगी। यदि इस चरण में अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और उसे एक रद्दीकरण पर्ची जारी की जाएगी। इसलिए यह अभ्यर्थियों की जिम्मेवारी होगी कि वे इस सूचना में यथानिर्धारित पात्रता की जांच कर लें और आवेदन करने से पहले सभी अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करें। **भर्ती प्रक्रिया का क्रम निम्नानुसार होगा:-** क. हाईटबार जांच। ख. शारीरिक दक्षता जांच। ग. शारीरिक मानक जांच। घ. दस्तावेजीकरण। ड़. ट्रेड परीक्षा। च. लिखित परीक्षा।	
	I)	**हाईटबार जांच (एचबीटी) (अर्हक)** वे अभ्यर्थी जो हाईटबार जांच में पात्र पाए जाएंगे उन्हें अगले चरण अर्थात् पीईटी से गुजरना होगा।
	II)	**शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) (अर्हक)**
	वे अभ्यर्थी जो हाईटबार जांच को पास कर लेंगे उन्हें 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी।	
	टिप्पणी :	
	1.	यह परीक्षा अर्हक प्रकार की होगी। वे अभ्यर्थी जो दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें उसी स्थल पर बाहर निकालने का कारण बताते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा रद्दीकरण पर्ची प्रदान की जाएगी तथा भर्ती के अगले चरणों में भाग लेने को अनुमत नहीं किया जाएगा।
	2.	जैसा कि उपर यथाउल्लिखित किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीईटी नहीं लिया जाएगा। तथापि, भूतपूर्व सैनिकों को अपना माप, दस्तावेजीकरण करने के लिए पीईटी/पीएसटी के समय उपस्थित रहना होगा और अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उन्हें ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण में उपस्थित रहना होगा और उनमें पास होना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को गृह मंत्रालय यूओ संख्या ए VI-1/2014, भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20 मई 2015के अनुसार चिकित्सा परीक्षण में पास होना होगा।
	III)	**शारीरिक मानक जांच :**
	i)	वे अभ्यर्थी जो हाईटबार जांच/पीईटी में पास हो जाते हैं, उन्हें अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, छाती और वजन की जांच करने के लिए बुलाया जाएगा। **वे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं उन्हें दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो निर्धारित किए गए शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें अस्वीकृति स्लिप देते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।** तथापि, उन्हें चिकित्सा जांच के समय ही वजन के आधार पर बाहर किया जाएगा। आरक्षक (ट्रेड्समैन) के पद के लिए शारीरिक मानक उपरोक्त पैरा 4 (ग) में बताए गए हैं, और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार छूट भी लागू होगी।
	ii)	भर्ती की प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक के माप से संतुष्ट नहीं है तो वह शारीरिक माप में अस्वीकृत किए जाने के विरूद्ध पर्यवेक्षक उपमहानिरीक्षक (अर्थात् अपीलीय प्राधिकारी) के समक्ष उसी दिन एक लिखित अपील दायर कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों का या तो उसी दिन पुन:माप किया जाएगा अथवा भर्ती बोर्ड के निरीक्षणकर्ता उपमहानिरीक्षक द्वारा अपीलीय प्राधिकारी को पुन: माप के लिए एक नई तिथि दी जाएगी। इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यदि वह अभ्यर्थी को निर्धारित मानकों में पाया जाता है तो उसे चयन प्रक्रिया के अगले चरण में भेजा जाएगा। तथापि, पीईटी (दौड़) का पुन: संचालन करवाने के लिए अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
		टिप्पणी:-1: जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है कद और छाती (जैसा भी मामला हो) में छूट केवल तभी दी जाएगी जब अभ्यर्थी अपने साधारण निवास के जिले के सक्षम प्राधिकारियों से **अनुलग्नक-VI** में यथानिर्धारित प्रपत्र में पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड जांच के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।
		टिप्पणी:-2: पीईटी/पीएसटी का संचालन करवाना केवल पीईटी/पीएसटी बोर्ड और निरीक्षणकर्ता उप महानिरीक्षकों की जिम्मेवारी होगी। सीआईएसएफ निदेशालय पीईटी/पीएसटी बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध किसी अभ्यावेदन/अपील आदि पर विचार नहीं करेगा।
		टिप्पणी:-3: पीईटी (दौड़) में कोई अपील नहीं होगी।

	IV)	**दस्तावेजीकरण :-**
		पीईटी/पीएसटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी । वे

		अभ्यर्थी जो अपेक्षित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए निरस्त करने संबंधी स्लिप देते हुए भर्ती संबंधी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और **किसी भी अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से अनुमत नहीं किया जाएगा।**	
		i)	शैक्षिक प्रमाण पत्र
		ii)	जन्म प्रमाण पत्र की तिथि (मैट्रिक अथवा दसवीं पास होने का प्रमाण पत्र)
		iii)	सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र जो उनकी निवास संबंधी स्थिति सिद्ध कर सके।
		iv)	अजा/अजजा और अपिव और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो। यह क्रमशः अनुलग्नक **I, II और III** में यथानिर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो विज्ञापन सूचना में दर्शाए गए अनुसार नही हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
		v)	अभ्यर्थी के निवास राज्य से भिन्न राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थात् दोनों प्रमाण पत्र (जाति और निवास) उसी राज्य के द्वारा जारी किए हुए होने चाहिए।
		vi)	गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और जम्मू एवं कश्मीर के लेह और लद्दाख क्षेत्र गोरखा क्षेत्रीय प्रबंधन (जीटीए) राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी जिन्होंने कद और छाती में छूट देने के लिए अनुरोध किया है उन्हें **अनुलग्नक-VI** में दिए गए परिपत्र/प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
		vii)	भूतपूर्व सैनिकों के मामले में कार्यभार मुक्ति संबंधी प्रमाण-पत्र।
		viii)	**परिशिष्ट -'ग' एवं 'घ'** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों में काम करने वाले व्यक्तियों के मामले में उनके कार्यालय प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
		ix)	केऔसुब में सेवारत कार्मिकों के बच्चों के मामले में जो अपने गृह राज्य के अलावा दूसरे राज्य में आवेदन कर रहे हैं, उन्हें **अनुलग्नक- VII** में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
		x)	अभ्यर्थी की चार नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो।
		xi)	डब्ल्यूपीआर (पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी) जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रह रहे हैं, के लिए पहचान पत्र अनुलग्नक VIII के अनुसार।
		xii)	आयु में छूट प्राप्त करने के लिए उन अभ्यर्थियों से निवास प्रमाण-पत्र जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सामानतया 01.01.1980 से 31.12.1989 तक रहे हैं।
		xiii)	अभ्यर्थियों को एक फोटोयुक्त पहचान पत्र **मूल रूप में** जैसे ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से जारी पहचान पत्र, आयकर पैनकार्ड अपने पास रखने चाहिए जिसके बारे में उन्होंने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है/भरा है।
		xiv)	अभ्यर्थी की पहचान अधिकारियों के बोर्ड द्वारा पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्रों की जांच करके की जाएगी। जांच करने के लिए भर्ती के प्रथम चरण में बायोमेट्रिक डाटा (फिंगर प्रिंट) भी तैयार किया जाएगा जिसे भर्ती के अगले चरणों में प्रयुक्त किया जाएगा।
	V.	**ट्रेड परीक्षा :**	
	क.)	पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण में उत्तीर्ण घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी । ट्रेड टेस्ट अर्हक प्रकार का होगा।	
	ख.)	ट्रेड टेस्ट/प्रेक्टिकल आकलन किया जाएगा जो अर्हक प्रकार का होगा।	
	ग.)	ट्रेड परीक्षा :	
		वे अभ्यर्थी जो पीईटी (शारीरिक दक्षता जांच), पीएसटी (शारीरिक मानक जांच), शारीरिक माप और पात्रता मानदंड की विस्तृत जांच में उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्रत्येक पद के लिए निम्नानुसार यथानिर्धारित ट्रेड परीक्षा देनी होगी।	
	1.	**रसोईया (कुक)**	
		क)	रोटी और चावल बनाना
		ख)	सब्जी/दाल/सांबर/इडली आदि बनाना
		ग)	मांस/मछली/अंडा/खीर आदि बनाना
	2.	**मोची**	
		क)	जूते पॉलिश करना
		ख)	औजार चलाना

		ग)	चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत व सिलाई करना
	3.	**नाई**	
		क)	औजार चलाने में कुशल
		ख)	बाल काटना
		ग)	दाढ़ी बनाना
	4.	**धोबी**	
		क)	कपड़ो की धुलाई
		ख)	सूती खाकी वर्दी पर प्रेस
		ग)	गर्म, टेरीकॉट वर्दी पर प्रेस
	5.	**बढ़ई**	
		क)	औजार चलाना
		ख)	लकड़ी काटना
		ग)	फिटिंग, पॉलिश और सामग्री की फिनिशिंग
	6.	**सफाईवाला**	
		क)	झाड़ू लगाना
		ख)	शौचालय की सफाई
		ग)	स्नानागार इत्यादि की सफाई
	7.	**पेंटर**	
		क)	रंग पेंट और शेड्स का ज्ञान
		ख)	साईन बोर्ड की पेंटिग
		ग)	रंगाई/चित्रांकन
	8.	**राजमिस्त्री (मेसन)**	
		क)	मसाला बनाना
		ख)	राजमिस्त्री/निमार्ण कार्य की जानकारी
		ग)	प्लास्टर कार्य
		घ)	फर्श पर टाईल्स व प्लस्तर करना
	9.	**प्लंबर**	
		क)	पाईपलाईन बिछाना
		ख)	पानी की पाईप लाईन की मरम्मत
		ग)	नलों, गीजर, फ्लश और वाश वेसिन की फिटिंग
	10.	**माली**	
		क)	बागवानी व कलम बनाना
		ख)	पौधों का रख-रखाव
		ग)	बीज और उनकी बुआई के मौसम का ज्ञान, उर्वरक की सेती देसेती।
		घ)	स्वदेशी खाद की जानकारी
	11.	**बिजली मिस्त्री (इलेक्ट्रिशियन)**	
		क)	एसी/डीसी वोल्ट की जानकारी
		ख)	नई बिजली की फिटिंग
		ग)	बिजली की खराबी को ठीक करना
	VI. **लिखित परीक्षा :**		
	जो अभ्यर्थी शारीरिक कुशलता परीक्षा/शारीरिक, मानक परीक्षा, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा में पास होंगे वे ही लिखित परीक्षा में बैठ पाएंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए तिथि एवं स्थल जिसपर उन्हें उपस्थित होना होगा, को दर्शाते हुए प्रवेश पत्र केऔसुब की वेबसाइट www.cisfrectt.in पर अपलोड किए जाएंगे।इसके अलावा, लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची और उनकी लिखित परीक्षा की तिथि/स्थल को भी सीआईएसएफ की वेवसाइट पर पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षण के पूरा होने के पश्चात उपयुक्त समय पर की जाएगी।		
	(i)		लिखित परीक्षा **ओएमआर आधारित होगी।**
	(ii)		100 अंकों के ओएमआर शीट प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषयों के 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न

			सामान्य जानकारी/ज्ञान, साधारण गणित का ज्ञान, विश्लेशणात्मक अभिरूचि। हिन्दी/अंग्रेजी में मूलभूत ज्ञान का पालन और अंतर करने की क्षमता पर होंगे जिनका उत्तर 2 घंटे में देना होगा। प्रश्नपत्र अंग्रेजी/हिंदी में द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएंगे।
	(iii)		लिखित परीक्षा में पास होने के लिए अंको की अंतिम प्रतिशतता निम्नानुसार होगी:- अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक : 35 % अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. : 33 %
			टिप्पणी - सामान्य/ईडब्ल्यूएस/इएसएम के लिए 35 प्रतिशत और अजा/अजजा/अपिव के लिए 33 प्रतिशत अर्हक अंक से यह तात्पर्य नहीं है कि जिन अभ्यर्थियों ने क्रमशः 35 प्रतिशत और 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए होंगे, जैसा मामला होगा, उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अगले चरण के लिए अभ्यर्थियों को पूर्णतया लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन/अर्जित किए गए अंकों के आधार पर और कट-ऑफ अंक (भर्ती सेक्टर/ट्रेड/श्रेणीवार) जो कि लिखित परीक्षा के पूरा होने के पश्चात निर्धारित किए जाएंगे, बुलाया जाएगा।
	(iv)		लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु अभ्यावेदन अथवा लिखित परीक्षा को दोबारा कराना स्वीकार्य नही होगा।
	(v)		प्रश्नों के उत्तर काले/नीले वॉलपेन से लिखने होंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए काला/नीला बॉल पेन लाना चाहिए।
			टिप्पणी : लिखित परीक्षा के केन्द्र को बदलने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
	(vi)		लिखित परीक्षा हेतु अन्य दिशानिर्देश :-
		1.	लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में होगा तथा अभ्यर्थियों को या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प होगा। अभ्यर्थियों को प्रश्न संख्या 81 से 100 (भाग-5) के प्रश्नों के उत्तर केवल एक भाषा अर्थात् अंग्रेजी अथवा हिंदी में देने होंगे। इसलिए भाग-5 में चुनी गई भाषा को ओएमआर शीट पर सही तरीके से चिन्हित करना होगा। इस भाग के लिए चुनी गई भाषा को उपयुक्त कॉलम में सही तरीके से उल्लिखित किया जाना चाहिए अन्यथा इस भाग की जांच नहीं की जाएगी।
		2.	अभ्यर्थियों को अपना अनुक्रमांक दोनो अर्थात प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर लिखना चाहिए।
		3.	प्रश्नों के उत्तर केवल ओएमआर शीट पर ही देने होंगे।
		4.	सभी प्रश्न अनिवार्य और समान अंक के होंगे।
		5.	प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका का क्रम संख्या और क्रम कोड होगा। अभ्यर्थियों को दी गई प्रश्न पुस्तिका का क्रम संख्या ओर क्रम कोड सही ढंग से ओएमआर उत्तर पुस्तिका में भरना होगा और इसी प्रकार से ओएमआर उत्तर पुस्तिका की संख्या एवं कोड प्रश्न पुस्तिका में उल्लिखित करना होगा।
		6.	यदि, ओएमआर उत्तर पुस्तिका में अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, भाषा विकल्प कोड, श्रेणी, प्रश्न पुस्तिका क्रम संख्या, क्रम कोड, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगुठे की छाप इत्यादि को पूर्ण एवं सही ढंग से इस उद्देश्य हेतु चिन्हित उपयुक्त कॉलम/बॉक्स पर नही होगा तो ओएमआर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विभाग द्वारा किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
		7.	प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प होगे। इनमें से, अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न हेतु सही उत्तर को चुनना होगा और विकल्पों में से केवल एक सही उत्तर को काला करना होगा।
		8.	यदि एक से ज्यादा गोले काले किए जाएंगे, तो उत्तर जांचा नही जाएगा।
		9.	अभ्यर्थी गोले को पूर्णरूप हो काला करने से पहले अच्छी तरह से सोच ले एवं निर्णय कर ले।
		10.	परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले ओएमआर उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को सौंपनी होगी, ऐसा न करने पर आवेदक को अयोग्य ठहराया जाएगा।
		11.	रफ कार्य के लिए पर्याप्त जगह दी जाएगी। उम्मीदवार उसी जगह का प्रयोग करेगा और कोई अन्य स्थान/पेपर इत्यादि का प्रयोग नही करेगा।
		12.	अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी ओर प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी। लिखित परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी वेबसाइट www.cisfrectt.gov.in पर अपलोड कर दी जाएगी।
		13.	अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका पर बताई गई विशेष सूचना के अतिरिक्त कोई असंगत बात न लिखें। यदि वह ऐसा करता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका अमान्य होगी और जांची नहीं जाएगी।
		14.	मोबाइल फोन/केलकुलेटर/अन्य कोई संगणक/इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की परीक्षा केन्द्र के अन्दर अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को, इसलिए परीक्षा परिसरों में इन उपकरणों को नहीं लाना चाहिए। चालू अथवा बंद हालत में इन उपकरणों के पकड़े जाने पर परीक्षा में 'अनुचित साधनों के प्रयोग' के तौर पर लिया जाएगा, उसकी

			उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
		15.	ओएमआर उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पुस्तिका के कॉलम उपयुक्त तरीके से भरने के लिए अभ्यर्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

	VII	**<u>चयन का तरीका/अंतिम वरीयता सूची बनाना</u>**	
	(i)		पीएसटी/पीईटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षण और लिखित परीक्षा के पूरा होने के पश्चात अभ्यर्थी के द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर खण्डवार, ट्रेडवार और श्रेणीवार वरीयता सूची सामान्य, अजा, अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से तैयार की जाएगी।
	(ii)		चयन के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत निम्नानुसार होगा :- अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक : 35 % अ.जा/अ.ज.जा/आ.पि.व : 33 %
	(iii)		समान अंकों के मामले में, मैरिट सूची निम्नलिखित क्रम में तैयार की जाएगी :-
		(क)	अभ्यर्थीयों की उम्र का हवाला देकर अंकों में टाई को हल किया जाएगा अर्थात् ज्यादा उम्र वाले को वरीयता दी जाती है।
		(ख)	यदि फिर भी अंक समान रहते है तो समाधान अभ्यर्थी की लम्बाई की तुलना करके किया जाएगा । जिस अभ्यर्थी की लम्बाई अधिक होगी उसका स्थान ऊपर रखा जाएगा।
		(ग)	यदि फिर भी बराबरी रहती है तो इसका समाधान अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता के द्वारा किया जाता है अर्थात् उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
		(घ)	यदि फिर भी अंक समान रहते हैं तो अंततः नाम के वर्णानुक्रम के अनुसार समाधान किया जाता है अर्थातः वर्णानुक्रम (अंग्रेजी) के अनुसार जिस अभ्यर्थी के नाम का पहला अक्षर दूसरे अभ्यर्थी के नाम के पहले अक्षर से पहले आए उसे वरीयता दी जाती है।
	(iv)		वशर्ते अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. और आ.क.व. के अभ्यर्थी जो बिना छूट के अपनी मैरिट सूची मे चयनित होता है, वह रिक्तियों के आरिक्षत हिस्से के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. और आ.क.व. अभ्यर्थियों को समस्त मैरिट सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को योग्य अजा/अजजा और आ.क.व. के अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा, जो कि इस प्रकार अजा, अजजा और आ.क.व. के उम्मीदवार जिनकी मैरिट अनारिक्षत वर्ग की मैरिट सूची के अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से कम होगी लेकिन वह आरक्षित मानको द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता हो।
	(v)		अंतिम परिणाम वेबसाइट अर्थात www.cisfrectt.in पर प्रदर्शित किया जाएगा।
		<u>टिप्पणी :–</u>	
		(1)	परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि **वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्ते पूरी करते हैं।** उनका परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रवेश पूर्णतः अनंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तो को पूरा करने के अध्याधीन होगा। यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा जांच से पहले या बाद में किसी भी समय जांच में यह पाया जाता है कि वे किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करते है तो उनकी परीक्षा के लिए उम्मीदवारी विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।
		(2)	यदि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी कारण से कोई अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है अथवा तथ्य छूपाने के मामलें में, उसकी उम्मीदवारी /चयन/नियुक्ति तदनुवार निरस्त की जा सकती है।
		(3)	यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियां योग्य अथवा पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण शेष रह गई हैं तो उन्हें गैर भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाएं तथा पदों में पुनः रोजगार) नियम 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में संबंधित ट्रेड/श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।
		(4)	कोई प्रतीक्षा सूची नही लगाई/रखी जाएगी।
	VIII	**<u>चिकित्सा जांच और प्रमाण पत्रों की छानबीन</u>**	
		(i)	केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा जिन्होंने पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है। प्रत्येक भर्ती सेक्टर/श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए विभाग के पास अलग-अलग अर्हक अंक निर्धारित करने का विशेषाधिकार होगा जिसमें प्रत्येक भर्ती क्षेत्र के लिए आवंटित रिक्तियों को ध्यान में रखा जाएगा। **तथापि, चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की वरीयता सूची और प्रत्येक**

			भर्ती क्षेत्र, ट्रेड, श्रेणी में कट–ऑफ अंकों पर निर्भर करेगी। तथापि बुलावा पत्र भेजने और चिकित्सा परीक्षण में फिट घोषित किए जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी का चयन अंतिम रूप से हो गया है। इसलिए ऐसे आधार पर चयन के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
		(ii)	शारीरिक दक्षता परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के ब्यौरे/सूची वेबसाइट अर्थात www.cisfrectt.in पर अपलोड की जाएगी। विस्तृत चिकित्सा जांच हेतु चयनित अभ्यर्थी अपना बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र वेबसाइट अर्थात www.cisfrectt.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा जांच के लिए बुलाए गऐ अभ्यर्थियों की सूची और उनके चिकित्सा जांच की तिथि और स्थान के बारे में भी लिखित परीक्षा के पूरा होने की तिथि से उचित समय के बाद केऔसुब की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।
		(iii)	अभ्यर्थियों को या तो **योग्य या फिर अयोग्य** घोषित कर दिया जाएगा। किसी अस्थाई अयोग्यता की अनुमति नहीं होगी।
		(iv)	सभी मामलों में, एक अभ्यर्थी, जिसे नियुक्ति के लिए चिकित्सा परीक्षण में चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, उसे निरीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित में स्पष्ट रूप से कारण बताते हुए उसको बाहर किए जाने के बारे में सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थी, यदि चिकित्सा परीक्षण के परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो वह क्रमशः अनुलग्नक 9 और अनुलग्नक 10 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में अपनी फिटनेश के प्रमाण पत्र के साथ उस तिथि से जब उसे अयोग्य घोषित किया गया है, 15 दिनों के अंदर पुनरीक्षा चिकित्सा परीक्षण के लिए एक अपील प्रस्तुत कर सकता है। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसमें संबंधित चिकित्सा प्रैक्टिसनर द्वारा इस आशय का एक नोट न हो कि इस प्रमाण पत्र को उसकी पूर्ण जानकारी के साथ प्रदान किया गया है कि अभ्यर्थी को पहले ही चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक इसके साथ 25 रूपए (पच्चीस रूपए केवल) का पुनरीक्षा परीक्षण शुल्क डिमाण्ड ड्राफ़्ट के माध्यम से संलग्न न किया गया हो। (प्राधिकारी और संबंधित डीडीओ एवं देय शाखा आदि का विवरण जिसके पास अपील प्रस्तुत की जानी है को रद्दीकरण पर्ची में उल्लिखित किया जाएगा जिसे भर्ती बोर्ड के परीक्षण चिकित्सा अधिकारी/चेयरमैन द्वारा जारी किया गया हो।)
			टिप्पणी : कार्यभार ग्रहण करने के समय सभी चयनित अभ्यर्थियों से एक बचनबद्धता ली जाएगी कि यदि उनके सेवा काल में किसी भी समय उनमें वर्णांधता पाई जाती है तो उन्हें प्रचलित शेप नीति के अनुसार बाहर कर दिया जाएगा। और इस तथ्य को उनके सेवा रिकार्ड में भी संलग्न किया जाएगा।

12.		**निर्णय :-**
		पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए जुर्माना, चयन प्रक्रिया, परीक्षा लेना, परीक्षा केन्द्रो का आबंटन और मैरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों मे बोर्ड/विभाग के निर्णय अंतिम होंगे और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होंगे तथा इस संबंध में कोई जांच पड़ताल/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
13.		**न्यायालय अधिकार क्षेत्र :**
		इस भर्ती के संबंध में कोई विवाद उस न्यायालय /अधिकरण के अधीन होगा जिसका अधिकार क्षेत्र केऔसुब का भर्ती केन्द्र उस शहर/कस्बे में स्थापित हो और जहां उम्मीदवार ने अपना आवेदन जमा करवाया है।
14.		**अभ्यर्थियों के लिए महत्वपर्ण दिशा–निर्देश :**
	(01)	मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा 10वीं पास कम से कम शैक्षणिक योग्यता है। भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।
	(02)	केवल योग्य अभ्यर्थी ही परिशिष्ट 'क' के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थी अधिसूचना में दिए सभी प्रावधानों को बारीकी से देख लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आयु, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के संबंध में आवेदन करने वाले उम्मीदवार इस पद के योग्य हैं।
	(03)	अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्शाए अनुसार ही अपना नाम जन्म तिथि, पिता का नाम लिखें अन्यथा उनकी उम्मीदवारी दस्तावेजों की जांच के समय अथवा केऔसुब के नोटिस में आने पर तुरन्त खारिज करदी जाएगी। किसी परिवर्तन के मामले में इसकी पुष्टि आवश्यक दस्तावेजों की जांच के समय अथवा केऔसुब के नोटिस में आने पर तुरन्त खारिज कर दी जाएगी। इसके अलावा, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाण-पत्रों में सही नाम प्रदर्शित होना चाहिए।
	(04)	आवेदन पत्र उम्मीदवार स्वयं अपने हाथ से ही भरें। यदि कोई सुधार हो तो, उम्मीदवार द्वारा वह सुपाठ्य हो एवं

		उसे प्रमाणित किया जाना चाहिए। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद उसमें परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
	(05)	आवेदन पत्र केवल अंग्रेज़ी अथवा हिन्दी में ही भरा जाना चाहिए।
	(06)	परिशिष्ट 'क' के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा स्वयं सत्यापित हाल ही के पासपोर्ट आकार की फोटो संलग्न करके 20.10.2019 तक उपरोक्त पैरा-8 में उल्लिखित संबंधित उप महानिरीक्षक को भेजें और पूर्वोत्तर के निवासियों के मामले में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ 29.10.2019 तक भेजें।
	(07)	आवेदन शुल्क के तौर पर सामान्य, ईडब्ल्यूएस तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100/- रू. (सौ रू मात्र) का एक रेखित अप्रतिदेय इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो उपर्युक्त पैरा-8 में दी गई तालिका के कॉलम-4 में उल्लिखित अधिकारियों के पक्ष में जारी तथा कॉलम-5 में दर्शाए गए डाक-घर में देय हो । आवेदन रद्द कर दिए जाने के आधार पर आवेदन शुल्क वापसी का दावा नहीं किया जाएगा । पोस्टल ऑर्डर के अलावा आवेदन-शुल्क के भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।
	(08)	अ.जा./अ.ज.जा. और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क देय नही है।
	(09)	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/बोर्ड द्वारा जारी आयु तथा शैक्षणिक अर्हता आदि का प्रमाण के तौर पर शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र (पत्रों) की फोटो प्रतियां अभ्यर्थी द्वारा विधिवत स्वयं सत्यापित करके संलग्न की जाएं ।
	(10)	अधिसूचना के अनुलग्नक-I, II एवं III के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफोर्मा के साथ अनु.जाति/अनु. जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित संलग्न करें।
	(11)	अधिसूचना के अनुलग्नक-VI के अनुसार गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा तथा मराठी श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी लंबाई तथा सीना (चेस्ट) में छूट प्राप्त करने के लिए एस.डी.एम/तहसीलदार द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत समकक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की स्वयं-सत्यापित वास्तविक प्रति संलग्न करें ।
	(12)	अधिसूचना के अनुलग्नक-VI के अनुसार सिक्किम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू कश्मीर के लेह-लद्दाख राज्यों से संबंधित आवेदक लम्बाई तथा सीना (चेस्ट) में छूट प्राप्त करने के लिए सब-डिविजनल मजिस्ट्रेड/तहसीलदार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत समकक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी या तो निवास स्थान प्रमाण पत्र अथवा प्रमाण पत्रों की स्वयं-सत्यापित वास्तविक प्रति संलग्न करें ।
	(13)	वर्ष 1984 के दंगो तथा गुजरात में 2002 में सांप्रदायिक दंगो में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों के मामले में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
	(14)	आयु में छूट प्राप्त करने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्यत: 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासी रहें हैं वे अनुलग्नक-VIII में प्रोफार्मा के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य में डब्ल्यूपीआर (पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी) के ऐसे बच्चों को नायब तहसीलदार/सरपंच/नंबरदार द्वारा जारी निवास स्थान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें।
	(15)	स्वयं के हस्ताक्षर (सामने) वाली दो अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ विधिवत क्लिप करके संलग्न किए जाने अपेक्षित हैं ।
	(16)	परिशिष्ट-'ख' के अनुसार प्रश्नावली विधिवत भरी हुई हो तथा उस पर आवेदक के हस्ताक्षर हों।
	(17)	परिशिष्ट-'ग' और 'घ' के अनुसार सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों द्वारा वचनबद्धता फार्म प्रस्तुत किया जाए।
	(18)	पद से संबंधित तकनीकी अर्हता प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो उसकी प्रति।
	(19)	पद से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो उसकी प्रति।
	(20)	अभ्यर्थी जिस भर्ती सेक्टर से आवेदन कर रहें हैं ऐसे राज्य से संबंधित निवास प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।(इस अधिसूचना के पैरा 8 के तहत तालिका के यथानुसार)
	(21)	आवेदक **परिशिष्ट-'क'** के कॉलम-5 और 6 में यह संकेत कर सकते हैं कि वे या तो सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् **मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध अथवा पारसी** में से कोई एक हैं।
	(22)	**पूर्व सैनिक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज :**
		क) सेवा-मुक्त प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
		ख) अनुलग्नक-**IV एवं V** के अनुसार 'वचनबद्धता'।
	(23)	उपर्युक्त दस्तावेज़ों वाले लिफाफे पर इस प्रकार लिखा होना चाहिए ''आरक्षक/................................ (ट्रेड का नाम) पद के लिए आवेदन इसमें से जो भी लागू हो ।
	(24)	निर्धारित किसी भी परीक्षा में फेल होने पर अभ्यर्थी को उसी स्तर पर निकाल दिया जाएगा ।
	(25)	डाक में विलंब होने पर केऔसुब (सी.आई.एस.एफ.) ज़िम्मेदार नहीं होगा ।
	(26)	आवेदन, सरकारी फॉरमेट के अनुरूप न होने पर, अधूरी/गलत सूचना देने/अपेक्षित प्रमाण पत्र अधूरे होने/तथ्यों को

		ग़लत ढंग से प्रस्तुत करने/हस्ताक्षर छोड़ देने/जहां देय हो वहां फीस जमा न करने/उपयुक्त स्थान पर लगाई जाने वाली स्वयं सत्यापित फोटोग्राफ न होने पर आवेदन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पूर्णतया रद्द कर दिया जाएगा।
	(27)	आवेदन, **परिशिष्ट 'क'** के अनुसार इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित निर्धारित फॉरमेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विभाग कोई आवेदन प्रपत्र प्रदान नहीं करेगा।
	(28)	विभाग को बिना किसी कारण बताए विज्ञापन में अन्य कोई बदलाव अथवा रद्द करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त यहां उल्लिखित सभी शर्तें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार बदली जा सकती है।
	(29)	हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा कोई प्रमाण पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी में अनुवाद के साथ विधिवत सत्यापित कर संलग्न किया जाना चाहिए अन्यथा इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
	(30)	किसी प्रकार का पक्ष प्रचार करने तथा सिफारिश करने पर आवेदक को बिना नोटिश के चयन से बाहर कर दिया जाएगा।
	(31)	ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा जो अनुदेशों के अनुसार न भरे गए हों अथवा आंशिक रूप से भरे गए हो तथा कोई पत्राचार भी नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित कारणों से आवेदन रद्द किए जा सकतें है:
		(क) अपूर्ण तथा अपठनीय तथा निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत नहीं किया गया हो ।
		(ख) अनु.जाति/अनु.जन.जाति तथा पूर्व सैनिकों को छोड़कर 100/- रू. (केवल सौ रू.) के पोस्टल ऑर्डर के बिना।
		(ग) अहस्ताक्षरित/बिना तारीख के आवेदन पत्र अथवा चिपकाए गए फोटोग्राफ पर बिना हस्ताक्षर के आवेदन-पत्र।
		(घ) विधिवत स्वयं सत्यापित सभी अपेक्षित प्रमाण प्रत्रों की प्रतियां संलग्न न करना।
		(ङ) कम आयु/अधिक आयु के अभ्यर्थी।
		(च) आवेदन प्रस्तुत करते समय अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता न होना।
		(छ) आवेदन अंग्रेज़ी अथवा हिन्दी में न भरना।
		(ज) अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा/ईडब्ल्यूएस वर्ग के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा उचित प्रमाण पत्र न देना। प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रपत्र (जैसा कि अधिसूचना में विहित है) में सक्षम प्राधिकारी की ओर से प्राप्त करना चाहिए।
		(झ) इस अधिसूचना में यथाउल्लिखित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त हुए आवेदन।
		(ञ) कोई अन्य अनियमितता जैसे आवेदन/दस्तावेजों आदि का विकृत तथा कटा-फटा होना।
	(32)	अभ्यर्थियों को भर्ती केन्द्र पर 4-6 दिन ठहरने के लिए स्वयं व्यवस्था करके आना होगा। यात्रा तथा ठहरने के लिए कोई टीए.-डीए. स्वीकार्य नहीं है।
	(33)	अपेक्षित अत्यधिक संख्या में आवेदनों को ध्यान में रखते हुए, आवेदनों की विस्तृत जांच अथवा योग्यता और अन्य पहलूओं को पीईटी/पीएसटी से पहले नहीं किया जाएगा और इसलिए आवेदन केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षणिक अर्हता, आयु, शारीरिक मापदंडों इत्यादि को पूरा करें और अपने आपको विश्वस्त करें कि वे आवेदन करने के योग्य हैं। जब जांच शुरू हो जाती है, **यदि आवेदन में किया गया कोई दावा पूर्ण नहीं पाया जाता है तो आवेदन तुरन्त निरस्त कर दिया जाएगा।**
	(34)	कोई भी कमी जो दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच के समय पता न चल पाई हो तथा बाद के स्तर पर पता चलने/नोट किए जाने पर अभ्यर्थी उस पद के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा तथा उसे भर्ती के बाद के क्रिया-कलापों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस संबंध में की गई अपील/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।
	(35)	वे अभ्यर्थी जिनके पास सही दृष्टिकोण, योग्यता, अच्छा स्वास्थ्य और संबंधित ट्रेड की जानकारी है वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
	(36)	**दिव्यांग अभ्यर्थी इस परीक्षा में आवेदन करने के योग्य नहीं है।**
	(37)	अभ्यर्थियों को आवेदन भरने और पीईटी/पीएसटी, लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा अथवा चिकित्सा परीक्षा इत्यादि के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए हेल्प लाईन नंवर 011-24366431/24307932 संपर्क कर सकते हैं।
	(38)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती में आने से पहले दौड़/पीईटी का पर्याप्त अभ्यास करें। उन्हें आगे सलाह दी जाती है कि वे दिए गए समय में एक विशिष्ट दूरी को दौड़ कर पूरा करने में उनकी योग्यता के संबंध में स्वयं की चिकित्सीय जांच करवा लें। केऔसुब अथवा भारत सरकार भर्ती प्रकिया/परीक्षा के दौरान किसी चोट/दुर्घटना और चिकित्सीय समस्या के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

	(39)	कोई भी आवेदक किसी भी अनुचित साधनों का प्रयोग करते अथवा प्रतिरूपण का सहारा लेते हुए पाया जाएगा तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार की जगह प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ आईपीसी के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को भविष्य में सीआईएसएफ की भर्ती के लिए आवेदन करने से रोक दिया जाएगा।
	(40)	कोई भी व्यक्ति दलाली करता है अथवा दलालों की मदद लेता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
	(41)	आवेदक को भर्ती के सभी स्तरों में भाग लेना है जिसके लिए वह योग्य पाए गए हैं। यदि आवेदक किसी चरण/ क्रिया-कलाप जिसके लिए वह योग्य पाए गए हैं, में अनुपस्थित रहता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
	(42)	चयन तथा नियुक्ति के बाद यदि अभ्यर्थी किसी भी कारण से अयोग्य/अपात्र माना जाता है तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी ।
	(43)	पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार करना अथवा रद्द किया जाना, चयन का तरीका, परीक्षाओं का संचालन और परीक्षा केन्द्रों का आवंटन, दक्षता परीक्षा की विधि/प्रक्रिया, चिकित्सा परीक्षण आदि से संबंधित सभी मामलों में विभाग का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नही किया जाएगा।
	(44)	**महानिदेशक, केऔसुब के पास बिना कोई कारण बताए भर्ती में परिवर्तन करने अथवा रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।** इसके अतिरिक्त यहां उल्लिखित सभी शर्ते समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार बदल सकती है।
	(45)	भर्ती के विभिन्न स्तरों पर सफल होना नियुक्ति का अधिकार प्रदान नही करता जब तक कि विभाग चिकित्सा जांच और इसके बाद ऐसी पूछताछ से संतुष्ट न हो जाए, जिसमें सेवा/पद की नियुक्ति हेतु आवेदक को सभी तरह से उपयुक्त पाया गया है ।
	(46)	भर्ती प्रक्रिया के अंत में चिकित्सा परीक्षा देने का तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति की गारंटी दी गई है क्योंकि नियुक्ति का ऑफर केवल अभ्यर्थियों की वरीयता के क्रम में से वरीयता सूची से प्रत्येक ट्रेड और श्रेणी के लिए आवंटित रिक्तियों के अनुसार ही दिया जाएगा।
	(47)	चयनित अभ्यर्थियों को सीआईएसएएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर मूल प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसके लिए उनको अलग से नियुक्ति पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण को उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। उनको 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहना होगा जिसको बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि किसी कारण से अयोग्य पाए जातें हैं तो सेवाएं समाप्त की जा सकती है।
	(48)	भर्ती होने पर अभ्यर्थी सीआईएसएफ अधिनियमो और नियमों के साथ-साथ समय-सयम पर जारी सरकारी निर्देशों/नियमों द्वारा शासित होंगे।
	(49)	केऔसुब ने पारदर्शिता अपनाकर तथा पक्षपात रहित होकर योग्य, वचनबद्ध, निष्ठावान तथा सर्वोत्तम अभ्यर्थियों की भर्ती का प्रयास किया है । अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह 'दलालों से सावधान रहें'।
	(50)	परीक्षा में सफलता से यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है, जब तक विभाग को यह संतुष्टि नहीं हो जाती है कि ऐसी जांच के पश्चात जिसे आवश्यक समझा जाए कि अभ्यर्थी पद पर नियुक्ति के लिए सभी तरीकों से उपयुक्त पाया जाता है।
	(51)	नियुक्ति का ऑफर भर्ती प्रकिया का अंतिम चरण है। इसलिए, भर्ती प्रक्रिया के पूर्व के चरणों (चिकित्सा परीक्षण सहित) में अर्हता प्राप्त करना किसी अभ्यर्थी को पद पर चयन अथवा नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है।
	(52)	पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण के आयोजन की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। प्रवेश पत्रों की अपलोडिंग तदनुसार की जाएगी। अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के बारे में ताजा अपडेट लेने के लिए नियमित रूप से सीआईएसएफ भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.in देखनी चाहिए।
	अभ्ययर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना	
	दलालों से सावधान रहें। केऔसुब मे भर्ती के लिए पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने किसी को पैसा दिया है या देने का वादा किया है तो आप धोखा-धड़ी का शिकार हुए हैं और आप अपना पैसा नष्ट कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे चयन के बदले पैसे मांगता है तो आप तत्काल भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी (पी.ओ.) और संबंधित भर्ती केन्द्र के उप महानिरीक्षक अथवा अभ्यर्थी के नाम के साथ ac-rectt@cisf.gov.in **पर ई-मेल करें।**	

<u>टिप्पणी</u> :– **यदि हिन्दी अनुवाद में कोई अस्पष्टता हो तो अंग्रेजी नोटिफिकेशन सही माना जाएगा ।**

परिशिष्ट 'क'

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षक/ट्रेड्समैन की भर्ती क लिए आवेदन पत्र–2019

रोल नं.__________________ (भर्ती केन्द्र द्वारा दिया जाएगा)

हाल ही के खीचें गए स्वयंहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाए

1. जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उसका नाम
2. अभ्यर्थी का नाम (बड़े अक्षरों में जसा कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में रिकार्ड है)
3. पिता का नाम (बड़े अक्षरों में जसा कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में रिकार्ड है)
4. जन्मतिथि दिन महीना वर्ष
5. लिंग पुरूष महिला
6. धर्म हिंदू मुस्लिम सिक्ख इसाई बौद्ध पारसी

   अन्य (कृपया उल्लेख करें)
7. क्या सरकारी आदेशों के अनुसार किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है। मुस्लिम सिक्ख इसाई बौद्ध पारसी
8. श्रेणी सामान्य अनु. जाति अ.ज.जा अ.पि.व ईडब्ल्यूएस
9. क्या पूर्व सैनिक हैं? हां नहीं
10. राष्ट्रीयता
11. राज्य जिससे संबंध रखते हैं
12. क्या आप पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित हैं? हां नहीं
13. जिससे संबंधित है गढ़वाली कुमाऊनी गोरखा डोगरा मराठा
14. जिससे संबंधित हैं सिक्किम नागालैंड अरूणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा

    मिजोरम मेघालय आसाम हिमाचल प्रदेश ज. व क. का लेह एवं लद्दाख क्षेत्र
15. क्या 1984 के दंगों तथा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों की श्रेणी में आते हैं हां नहीं
16. क्या 01 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू–कश्मीर राज्य के निवासी रहे थे? हां नहीं
17. क्या आप जम्मू एवं कश्मीर में रह रहे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के आश्रित हैं? हां नही
18. क्या आपको किसी न्यायालय या किसी न्यायिक संस्था ने कभी दोषी ठहराया हैं? हां नहीं
19. **पत्राचार के लिए पता** मकान सं0 गांव/वार्ड

    डाकघर थाना

    जिला राज्य

    पिन कोड
20. **स्थायी पता** मकान सं0 गांव/वार्ड

    डाकघर थाना

    जिला राज्य

    पिन कोड
21. **स्पष्ट पहचान चिन्ह्**
    1. ______________________________
    2. ______________________________
22. शैक्षणिक अर्हता सिविल ____________ आर्मी ____________
23. पोस्टल ऑर्डर का ब्यौरा :

24. क्या आप शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र हैं? हां नहीं

25. आधार कार्ड संख्या

यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो अन्य, फोटो पहचान पत्र कार्ड का विवरण दर्ज करें । — कार्ड का प्रकार — कार्ड संख्या

26. एसटीडी सहित फोन नं., यदि हो — मोबाईल नं.

27. ई–मेल आई डी .________________________.

28. **केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए**

क) आर्मी संख्या

ख) रैंक

ग) ट्रेड

घ) नियुक्ति की तारीख — दिन — महीना — वर्ष

ड़) सेवामुक्ति की तारीख — दिन — महीना — वर्ष

च) अंतिम इकाई जहां से सेवा निवृत हुए

छ) सेवा निवृति के समय चरित्र

ज) सेवा निवृति के समय चिकित्सा श्रेणी

29. **केवल केऔसुब कार्मिकों के बच्चों के लिए**

क) माता/पिता की केऔसुब सं0

ख) रैंक

ग) नाम

घ) वर्तमान यूनिट एवं राज्य

ड़) माता–पिता का गृह राज्य

च) क्या केऔसुब कार्मिक का बच्चा अपने गृह राज्य से अथवा उस राज्य से जहां उनके माता–पिता वर्तमान में तैनात हैं, आवेदन करना चाहता है (बाद के स्तर पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा) — अपने गृह राज्य — वह राज्य जहां मेरी माता/पिता पदस्थ हैं।

छ) पैरा 22 (क) से (च) तक प्रस्तुत डाटा के सत्यापन के प्रमाण के तौर पर यूनिट कमांडर के सरकारी स्टेम्प सहित हस्ताक्षर।

30. **केवल अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए**

क) कार्मिक संख्या

ख) रैंक/पदनाम

ग) पूरा डाक पता (कार्यालय)

घ) सेवा की तारीख
भर्ती की तारीख

ड़) परिवीक्षा अवधि पूरी होने की तारीख

च) दंड के ब्यौरे — बड़ा — छोटा

छ) क्या पूरी सेवा के दौरान वार्षिक ग्रेडिंग औसत से ऊपर या अन्यथा रही है — हां — नहीं

ज) पैरा 30 (क) से (छ) तक प्रस्तुत डाटा के सत्यापन क प्रमाण के तौर पर यूनिट कमांडर के सरकारी स्टेम्प सहित हस्ताक्षर।

31. परिशिष्ट 'ख' के अनुसार प्रश्नावली विधिवत् भरकर तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर करके आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाए।

32.

घोषणा

(सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किया हुआ हो)

1. मै एतदद्वारा प्रमाणित तथा घेाषणा करता हूॅ कि आवेदन में प्रस्तुत विवरण मेरे संज्ञान और विश्वास से सत्य, पूर्ण तथा सही हैं। यदि भर्ती प्रक्रिया के दौरान तथा बाद में किसी भी स्तर पर मेरी सूचना तथा उसका कोई भाग गलत तथा अशुद्ध पाया जाता है तथा मैं इस नोटिस में निर्धारित पात्रता मानदंडो पर खरा नहीं उतरता हूॅ तो मेरी अभ्यर्थिता/नियुक्ति कोई नोटिस दिए बिना स्वतः रद्द/समाप्त कर दी जाएगी तथा केऔसुब द्वारा मेरे विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है ।
2. मैंने परीक्षा की सूचना में प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं एतदद्वारा इन पर दृढ़ रहने के लिए वचनबद्ध हूॅ ।
3. मैं आगे यह घोषणा करता हूॅ कि मै परीक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता हूं। मैंने शैक्षणिक अर्हता, आयु, श्रेणी (अनु.जाति/अनु.जन जाति./अन्य पिछड़ा वर्ग/पूर्व सैनिक) तथा आयु छूट आदि के दावे के समर्थन में प्रमाण प्रत्र की फोटो प्रतियां संलग्न की हैं ।
4. मैं यह भी घोषणा करता हूॅ कि मैं आज की स्थिति के अनुसार न तो सरकारी सेवा से निष्कासित किया गया हूॅ और न ही किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया गया हूॅ ।
5. मैंने इस परीक्षा के लिए कोई और आवेदन नहीं किया है। मैं जानता हूॅ कि यदि मैं इस नियम की अवहेलना करता हूॅ तो मेरा आवेदन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी के बांए हाथ के अंगूठे का निशान

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर न किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा ।

स्थान

तारीख

केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली उदघोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी गॉव/नगर/शहर .... जिला ....राज्य ....एत्दद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ....समुदाय से संबंधित हूं जिसकी पहचान भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 36012/22/93 एस सी टी दिनांक 8/09/93 के अनुसार एक पिछड़े वर्ग के रूप में सरकारी सेवा में आरक्षण देने के उद्देश्य से की गई ह । मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्थापना (एस सी टी) दिनांक 08/09/1993 के कॉलम 3 तथा यथासंशोधित भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञांपन संख्या 36033/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 09/03/2004 तथा का.ज्ञा.सं.36033/3/2004–स्था.(आ.) दिनांक 14.10.2008 में उल्लिखित व्यक्तियों, वर्गो, (क्रीमीलेयर) से संबंधित नही हूं।

तिथि

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा)

परिशिष्ट ''ख''

प्रश्नावली

1	क्या आपको कभी किसी न्यायलय या न्यायिक संस्थान द्वारा दोषी करार दिया गया है ?	**हां / नहीं**
2	क्या आपके खिलाफ न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित है ?	**हां / नहीं**
3	क्या आपके खिलाफ कभी कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा आपके विरूद्ध मामला लंबित है ?	**हां / नहीं**
4	क्या पूर्व में कभी आपके विरूद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज की गई थी ?	**हा / नहीं**
क)	यदि हां तो मामला संख्या और किस धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी ?	
ख)	जहां प्राथमिकी दर्ज की गई थी उस थाने का नाम ?	
ग)	क्या मामले पर आरोप पत्र जारी किया गया था अथवा एफ.आर. में रखा गया ?	
घ)	यदि आरोप पत्र दिया गया था तो न्यायालय के निष्कर्ष क्या थे ?	
	(i) दोषी	
	(ii) विमुक्त	
	(iii) समझोते के आधार पर	
	(iv) संयोजित	
	(v) कोई अन्य तो उल्लेख करें	
5	क्या आपको कभी केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया है ?	**हां / नहीं**
6	क्या आपको परिवीक्षा के दौरान कभी सेवा से निष्काषित किया गया है ?	**हां / नहीं**

यदि उपरोक्त मे से किसी का भी जवाब हां है तो कृपया पूर्ण विवरण अलग पृष्ठ पर दें ।

वचनबद्धता

मैं .... घोषित करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरे जानकारी ओर विश्वास से पूर्णतया सत्य हैं। मै यह समझता हॅू कि अगर उक्त सूचना मिथ्या या असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी को समाप्त किया जाए और इसके अलावा मेरे ऊपर विभागीय या न्यायिक प्रक्रिया की कार्यवाई भी की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम...
पिता का नाम...
पता...
....
....
....

स्थान
दिनांक

परिशिष्ट 'ग'

सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों / स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं लिखित में अपने कार्यालयाध्यक्ष / विभाग / मंत्रालय को सूचित कर रहा हूं कि मैंने केऔसुब में आरक्षक / ट्रेड्समैन के पद के लिए, जैसा भी मामला हो, आवेदन किया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.

नाम..

स्थान :

तारीख :

परिशिष्ट 'घ'

सरकारी विभागों/उपकमों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

''प्रमाणित किया जाता है कि श्री..को केऔसुब में ....पद के लिए आवेदन करने पर इस विभाग/कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... को कोई दंड (बड़ा/छोटा) अब तक नहीं दिया गया है और इस विभाग/कार्यालय में पूरी सेवा के दौरान उनका कार्यनिष्पादन **'औसत'** से उपर रहा है।''

हस्ताक्षर...

कार्यालयध्यक्ष/नियंत्रण
अधिकारी/इकाई कमांडर का
नाम और पदनाम

दिनांक :

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमतो/कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री .... गॉव/नगर .... जो जिला/खंड.....................राज्य/ संघ शासित क्षेत्र ....जाति/जनजाति* से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति* के रूप में निम्नानुसार की गई है ।

- 'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950@
- 'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950@
- 'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951@
- 'संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951 @
  (जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति सूचियॉ (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा यथा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोतर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)
- 'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@
- 'संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976@
- 'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@
- 'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
- 'संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
- 'संवैधानिक (उतर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967@
- 'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
- 'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
- 'संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
- 'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
- 'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
- 'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
- 'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1990@
- 'संवैधानिक (अनसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अध्यादेश, 1991@
- 'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश दूसरा संशोधन अध्यादेश, 1991@
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
- 'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002@
- 'संवधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002@
- 'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन अधिनियम) 2002@

2. '' एक राज्य/संध शासित प्रदेश/प्रशासन से दूसरे राज्य प्रवास कर गए अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों पर लागू।

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती* .... पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी* ....गांव/नगर'*............................जिला/खंड* ....राज्य/संधशासित क्षेत्र* .... जो कि ....जाति/जनजाति से संबंधित हों जिसे राज्य/संधशासित क्षेत्र...................................द्वारा जारी किए गए .... (उपरोक्त जारी करने वाला प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या ....दिनांक ....को जारी किया गया ।

#3 श्री/श्रीमती/कुमारी* .... और/अथवा/उसका' परिवार वास्तविक रूप से गांव/नगर .... जिला/खंड*........................राज्य/संधशासित क्षेत्र* ....में साधारणतया रहते है ।

हस्ताक्षर..........................
**पदनाम.........................
राज्य/संघीय क्षेत्र..........................

स्थान ....
दिनांक ....

*कृपया जो लागू न हा वे शब्द काट दिये जाये।
@ कपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें ।
# उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो ।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्य रूप' से निवासकर्ता है का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

****अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव/ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची।**

1) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/सब डिविजिनल मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (+प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)
2) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट
3) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ।
4) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य साधारणतः निवास करते है।

टिप्पणी तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति के आवेदक **केवल राजस्व खण्ड अधिकारी द्वारा** जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

अनुलग्नक –"II"

अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/श्री ....गांव/नगर.................................. जिला/प्रभाग ....में राज्य/संघशासित क्षेत्र' ....के ....जाति से संबंधित है जिसकी निम्नलिखित के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में पहचान की गई है :

- 'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/68/93–बी सी सी (सी) दिनांक 10 सितम्बर 1993 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 186 दिनांक 13 सितम्बर 1993 में प्रकाशित@
- 'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/09/94–बी सी सी दिनांक 19/10/1994 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 163 दिनांक 20/10/1994 में प्रकाशित@
- 'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/7/95–बी सी सी दिनांक 24 मई 1995 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित@
- 'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/96/94–बी सी सी दिनांक 09 मार्च ,1996 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 60 दिनांक 11.03.1996 में प्रकाशित @
- 'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/44/96–बी सी सी दिनांक 06 दिसम्बर,1996 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 210 दिनांक 11.12.1996 मं प्रकाशित @
- 'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/13/97–बी सी सी दिनांक 03/12/1997 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 239 दिनांक 17/12/ 1997 में प्रकाशित@
- 'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/99/94–बी सी सी दिनांक 11.12.1997 भारत के असाधरण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 236 दिनांक 12.12.1997 में प्रकाशित@
- 'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/68/98–बी सी सी दिनांक 27 अक्तूबर,1999 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 241 दिनांक 27/10/ 1999 में प्रकाशित@
- 'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/88/98 बी सी सी दिनांक 06.12.99 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 270 दिनाक 06.12.1999 में प्रकाशित @
- 'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/36/99 बीसीसी दिनाक 04.04.2000 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 71 दिनांक 04.04.2000 में प्रकाशित
- 'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/44/99 बीसीसी दिनांक 21 सितम्बर 2000 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 210 दिनाक 21 सितम्बर 2000 में प्रकाशित @
- 'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12015/9/2000 बीसीसी दिनांक 06 सितम्बर 2001 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 246 दिनांक 06 सितम्बर 2001 में प्रकाशित @
- 'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/1/2001– बीसीसी दिनांक 19 जून 2003 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 151 दिनांक 20 जून 2003 में प्रकाशित @
- 'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/4/2002– बीसीसी दिनांक 13 जनवरी 2004 भारत क असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 9 दिनांक 13 जनवरी 2004में प्रकाशित @
- 'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/9/2004– बीसीसी दिनांक 16 जनवरी 2006 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 सख्या 10 दिनांक 6 जनवरी 2006 में प्रकाशित @
- 'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/14/2004– बीसीसी दिनांक 12 मार्च 2007 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1खण्ड 1 संख्या 67 दिनांक 12 मार्च 2007 में प्रकाशित @

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी' ....और/या 'उसका/उसकी 'परिवार सामान्य रूप से................................

गांव/नगर' ....जिला/खंड'..............................राज्य/संघशासित क्षेत्र'........................जो............................निवास करता है

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्थापना (एस सी टी) दिनांक 8/09/93, के कॉलम 3, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004–प्रशासन (आरईएस) दिनांक 9/03/2004 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004–स्थापना (आरईएस) दिनांक 14/10/2008, में उल्लिखित (क्रीमीलेयर) व्यक्तियों/ समुदायों' से संबंधित नही है।

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर..................................
**पद का नाम............................
(कार्यालय मुहर के साथ)

'(जो लागू न हो वे शब्द काट दिए जाएं)

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्य रूप से निवासकर्ता है का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।
** अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के समान होगी ।
@ जो लागू न हो वे शब्द काट दिए जाएं ।

अनुलग्नक –"III"

......................सरकार
(प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रस्तुत आय एवं संपत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र सं.............................. दिनांक...............................

...................वर्ष के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नि, श्री.................................... गांव/गली...पिन कोड..................................का स्थायी निवासी है जिसका फोटो नीचे संलग्न है वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, चूंकि उसके ''परिवार''** की कुल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष..........................के लिए रूपए 8 लाख (आठ लाख रूपये) से कम है। उसके परिवार के पास निम्नलिखित संपत्तियां नहीं है।

I कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ या इससे अधिक।

II रिहायशी फ्लैट 1000 वर्ग फुट या इससे अधिक

III अधिसूचित नगर निगम में रिहायसो प्लांट 100 वर्ग गज या इससे अधिक।

IV अधिसूचित नगर निगम के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में रिहायसी प्लांट 200 वर्ग गज या इससे ज्यादा।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी...................................जाति से संबंधित है जिसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता नहों दी गई है।

कार्यालय के मोहर सहित हस्ताक्षर.....................

नाम..

पदनाम..

* टिप्पणी : 1. सभी श्रोतों के अन्तर्गत आय अर्थात वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय इत्यादि।

** टिप्पणी : 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसक माता–पिता और भाई–बहन 18 वर्ष से कम आयु के साथ–साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

*** टिप्पणी : 3. ईडब्ल्यू स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को इकट्ठा किया गया है।

टिप्पणी : 4. निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा :–

i) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/सब डिविजिनल मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट /प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट से पद मे कम न हो)

ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट

iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ।

iv) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य साधारणतः निवास करते है।

अनुलग्नक –IV

भूतपूर्व सैनिक कोटे के अधीन सिविल पदों हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता का प्रपत्र

मैं जानता हूं कि यदि भर्ती/परीक्षा जिसके बारे में मैंने आवेदन किया के आधार पर मेरा चयन हो जाता है तो मेरी नियुक्ति प्राधिकरण के समक्ष ऐसे संतुष्टीपरक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर होगी कि समय-समय पर संशोधित पूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवा तथा पदों पर पुनर्नियोजन) नियम 1979 में दी गई शर्तो के अनुसार मुझे सशस्त्र बल से विधिवत छोड़ दिया गया है/सेवामुक्त/कार्यमुक्त कर दिया गया है और यह कि मैं पूर्व सैनिकों को दिये जाने वाले हितलाभ के लिए पात्र हूं।

2. मैं यह भी जानता हूं कि मैं इस परीक्षा द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियोजन के लिए पात्र नही रहूंगा यदि मैने इस नियुक्ति से पूर्व किसी भी समय सिविल सेवा (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि शामिल हैं) में भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर इस छूट का प्रयोग करके कोई नियोजन प्राप्त किया हो।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :.........................

स्थान ....

दिनांक ....

....

अनुलग्नक –''V''

सेवारत रक्षा कार्मिक के प्रमाण पत्र का प्रपत्र (कृपया परीक्षा की सूचना के टिप्पणी -।।। के पैरा 4 (ख) देखें

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (संख्या) .... (रैंक)..(नाम)...दिनांक.....................को सशस्त्र बलों में अपनी सेवा की विशिष्ट शर्तो को पूरा कर लेंगे।

स्थान :

इकाई :

(नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय की मुहर

अनुलग्नक –VI

कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी ....पुत्र/पुत्री, श्री .... गांव....................................... तहसील/तालुका..............................जिला..............................राज्य............. के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- ❖ भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने की माप में छूट के लिए उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र के निवासी (गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी) के रूप में जाने जाते हैं।
- ❖ वह हिमाचल प्रदेश/लेह और लद्दाख/कश्मीर घाटी/पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है और उसके मामले में भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने में छूट देने पर विचार किया जाता है।
- ❖ वह ....जनजातीय समुदाय से संबंध रखता है और उसके मामले में भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने में छूट देने पर विचार किया जाता है।

स्थान :
दिनांक:...

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

❖ जो लागू न हो उन्हें काट दें।

अनुलग्नक –VII

केऔसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि ....(अभ्यर्थी का नाम) केऔसुब संख्या .... पदनाम....................................नाम..के बच्चे/आश्रित/पति/पत्नी है जो केऔसुब इकाई..में तैनात है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक सेवारत कार्मिक के साथ रह रहा है। उसके बच्चे/पति/पत्नी/वार्ड के नाम को कार्मिक के सेवा रिकार्ड से जांच लिया गया है

इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर
नाम..
पदनाम...
इकाई...
(कार्यालय की मुहर सहित)

टिप्पणी : प्रमाण पत्र की एक प्रति सेवारत कार्मिक की व्यक्तिगत फाईल में रखी जानी चाहिए ।

अनुलग्नक –VIII

सरपंच/नंबरदार/नायाब तहसीलदार का कार्यालय..

फोटो

जम्मू एवं कश्मीर राज्य पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... गांव....................................... तहसील.............................जिला...............................अविभाजित भारत (अब पाकिस्तान) के निवासी थे जो वर्तमान में मकान संख्या ....गली/लेन सं...........मुहल्ल............गांव........................ तहसील.........................जिला..................के 1947 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान से आए हुए पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी हैं।

सरपंच/नंबरदार/नायाब तहसीलदार

प्रेषक,

नाम...

अनुक्रमांक...

सेवा में,

....

....

....

विषय : **केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में वर्ष 2019 के लिए आरक्षक/ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए चिकित्सीय रूप से अयोग्य करने के विरूद्ध अपील।**

महोदय,

मेरा सीआईएसएफ में वर्ष 2019 के लिए आरक्षक/ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए दिनांक.............को ....(चिकित्सा परीक्षण केन्द्र का उल्लेख करे) पर चिकित्सा परीक्षण किया गया, जिसमें मुझे निम्नलिखित कारणों से चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया:-

....

....

2. मैंने संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी (डीआर) जो..........................के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हैं, द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करवाया, जिन्होंने मुझे उपरोक्त पद के लिए चिकित्सीय रूप से योग्य पाया है। मैं उपरोक्त डॉक्टर से जिन्होंने मुझे चिकित्सीय रूप से योग्य घोषित किया है, निर्धारित प्रमाण-पत्र (प्रपत्र संख्या 3) संलग्न कर रहा हूँ। मैं सीआईएसएफ के चिकित्सा बोर्ड द्वारा मेरे चिकित्सा परीक्षण की पुनरीक्षा करवाने के लिए रू. 25/- का डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में संलग्न कर रहा हूँ।

3. प्रमाणित किया जाता है कि सभी दस्तावेजों को जांच सूची के अनुसार संलग्न किया गया है।

4. मैं, इसलिए, सीआईएसएफ में आरक्षक/ट्रेड्समैन - 2019 के पद के लिए सीआईएसएफ/सीएपीएफ के पुनरीक्षा चिकित्सा बोर्ड द्वारा मेरे चिकित्सा परीक्षण की पुनरीक्षा करने का अनुरोध करता हूँ।

<u>जांच सूची</u>

i) विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रपत्र संख्या 3 में चिकित्सा योग्यता प्रमाण-पत्र।
ii) ....पर देय ....के पक्ष में रू. 25/- का डिमांड ड्राफ्ट। (प्रपत्र संख्या 1 में यथा उल्लिखित पता। प्रपत्र संख्या 1 में यथा उल्लिखित स्थान के अलावा देय ड्राफ्ट को निरस्त कर दिया जाएगा)
iii) रू. 26/- का टिकट लगा स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित टिकट शुल्क को चिपकाएं यदि वे चाहते हैं कि पुनरीक्षा चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलावा पत्र उन्हें स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाए। विभाग डाक में देरी के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करेगा।
iv) निरस्तीकरण की पर्ची की एक प्रति अर्थात् प्रपत्र संख्या 1।

भवदीय,

हस्ताक्षर.......................

नाम..........................

अनुक्रमांक....................

पता..........................

आरक्षक/ट्रेड्समैन-2019 की भर्ती

चिकित्सा योग्यता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा प्रेक्टिशनर द्वारा अभ्यर्थी के फोटोग्राफ और अंगूठे के निशान को सत्यापित किया जाना है।	अभ्यर्थी के फोटोग्राफ के लिए स्थान
	अभ्यर्थी के अंगूठे का निशान

प्रमाणित किया जाता है कि श्री…………………………………सुपुत्र श्री…………………………………आयु……..वर्ष, जो कि सीआईएसएफ में आरक्षक/ट्रेड्समैन-2019 के पद के लिए एक अभ्यर्थी हैं, जिनकी फोटो और अंगूठे के निशान को उपर दर्शाया गया है, उसको मेरे द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया है, जिसकी जांच मेरे द्वारा दिनांक ……….को ……………………………………………………अस्पताल में की गई।

2. मैं अधोहस्ताक्षरी, जानकारी रखता हूँ कि श्री …………………………….सुपुत्र श्री…………………………….को आरक्षक/ट्रेड्समैन-2019 के पद के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से …… की वजह से अयोग्य घोषित किया गया है। मेरी राय में यह निम्नलिखित कारणों से …… ………………………………………………………………………………………………निर्णय की एक गलती है।

3. उपयुक्त परीक्षण के पश्चात, मैं उसे उपरोक्त पद के लिए चिकित्सीय रूप से योग्य घोषित करता हूँ।

दिनांक………………………
संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी
का हस्ताक्षर और नाम मोहर के साथ
पंजीकरण संख्या……………………
(एमसीआई/राज्य चिकित्सा परिषद)
पदनाम……………………
अस्पताल का नाम और पता
(जिला और उससे उपर के अस्पताल)

अभ्यर्भी का हस्ताक्षर और नाम
(चिकित्सा प्रेकिटशनर की उपस्थिति में)

द्वारा सत्यापित
संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी
हस्ताक्षर और मोहर

टिप्पणी :
1) चिकित्सा प्रेक्टिशनर की जांचों को चिकित्सा रिपोर्ट/दस्तावेजों, जहां भी लागू हों, द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
2) अभ्यर्थी के फोटोग्राफ, अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर को चिकित्सा प्रेक्टिशनर द्वारा यह चिकित्सा योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय सत्यापित किया जाना चाहिए। असत्यापित प्रपत्रों को सीधे ही निरस्त कर दिया जाएगा।
3) सीआईएसफ डाक में देरी के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

डीएवीपी 19113/11/0001/1920